بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ

अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं मुहम्मद[सo] अल्लाह के रसूल हैं।

Vol - 26
Issue - 03

राह-ए-ईमान

मार्च
2024 ई०

ज्ञान और कर्म का इस्लामी दर्पण

विषय सूची

1. पवित्र क़ुरआन..... 2
2. पवित्र हदीस 2
3. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अमृतवाणी..... 3
4. रूहानी ख़ज़ायन (एक ईसाई के तीन सवाल और उनके जवाब पृष्ठ).....4
5. सम्पादकीय 6
6. सारांश ख़ुत्बः जुम्अः (दिनांक 23.2.2023).....8
7. अल्लाह तआला की सही पहचान कैसे हो.....12
8. मसीह अलैहिस्सलाम की मृत्यु व जीवन की आस्था का महत्त्व.....17
9. हुज़ूर अनवर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर.....27
10. पत्रिका के बारे में कृपया अपना फीडबैक (प्रतिक्रिया) अवश्य दें.....32

☆ ☆ ☆

सम्पादक
फ़रहत अहमद आचार्य

उप सम्पादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद M.A.
इब्नुल मेहदी लईक M.A.
संपादक - मंडल
फज़ल नासिर
सेटिंग
फ़रहत अहमद आचार्य
टाइटल डिज़ाइन
नूरुद्दीन नूरी
मैनेजर
अतहर अहमद शमीम M.A.
कार्यालय प्रभार
सय्यद हारिस अहमद

पत्र व्यवहार के लिए पता :-
सम्पादक राह-ए-ईमान, मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत,
क़ादियान - 143516 ज़िला गुरदासपुर, पंजाब।
Editor Rah-e-Iman, Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat,
Qadian - 143516, Distt. Gurdaspur (Pb.)
Fax No. 01872 - 220139, **Email : rahe.imaan@gmail.com**
Editor- 9115040806, Manager- 9815639670

लेखकों के विचार से अहमदिया मुस्लिम जमाअत का सहमत होना ज़रूरी नहीं

वार्षिक मूल्य: 130 रुपए

Printed & Published by Shoaib Ahmad M.A. and owned by Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat Qadian and Printed at Fazle Umar Printing Press, Harchowal Road, Qadian Distt. Gurdaspur 143516, Punjab, INDIA and Published at Office Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat, P.O. Qadian, Distt. Gurdaspour 143516 Punjab iNDIA. Editor Farhat Ahmad

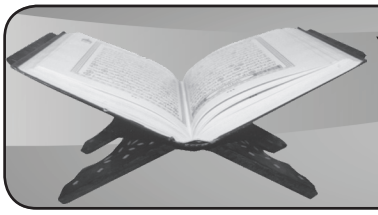

पवित्र क़ुरआन

(अल्लाह तआला के कथन)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٣٧﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٨﴾

अनुवाद:- 36- हे ईमान लाने वालो ! अल्लाह के लिए संयम धारण करो और उस का क़ुर्ब (निकटता) हासिल करने अर्थात् उस तक पहुँचने की राहों को तलाश करो तथा उस की राह में कोशिश करो ताकि तुम सफल हो जाओ। 37- जो लोग इन्कार करने वाले हैं यदि धरती में जो कुछ पाया जाता है वह सब और उतना ही और (धन) भी उन के पास होता ताकि वे क़यामत के दिन के अज़ाब के बदले में उसे दे देते तो भी उनसे वह स्वीकार नहीं किया जाता और उन के लिए पीड़ा-दायक अज़ाब निश्चित है। 38- वे नर्क की आग से निकलना चाहेंगे, परन्तु उस में से कदापि निकल नहीं सकेंगे और उन के लिए न टलने वाला अज़ाब निश्चित है। (अल माइदा : 36-38)

पवित्र हदीस

(हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन)

अनुवाद: हज़रत जैद बिन साबित वर्णन करते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया- अपने घरों में नमाज़ (सुन्नत और नवाफ़िल) पढ़ा करो क्योंकि जमाअत के साथ फर्ज़ नमाज़ों के सिवा बाकी नमाज़ घर में पढ़ना बेहतरीन अमल है। (मसनद दारमी फी किताबुस्सलात)

अनुवाद- हज़रत आयशा वर्णन करती हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रात के पिछले हिस्से में ग्यारह रकअत तहज्जुद पढ़ते। जब फजर की अज़ान होती तो दो हल्की रकअतें पढ़ते और फिर अपने दांए पहलू के बल लेट जाते। जब मुअज़्ज़िन नमाज़ के लिए सूचना देता तो आप नमाज़ पढ़ाने तशरीफ ले जाते। (बुख़ारी किताबुत्दावात)

अनुवाद- हज़रत इब्ने उमर वर्णन करते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रात अर्थात तहज्जुद की नमाज़ दो-दो रकअत करके पढ़ते थे। और फिर आख़िर में एक रकअत पढ़कर उन्हें वितर (विषम) बना लेते। सुबह की नमाज़ से पहले दो रकअतें पढ़ते थे और इतनी हल्की पढ़ते जैसे इक़ामत शुरू हो चुकी है। (मुस्लिम किताबुस्सलात)

★ ★ ★

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अमृतवाणी

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

अल्लाह पर ईमान के तीन माध्यम

अल्लाह ताला पर ईमान लाने और इस को मज़बूत करने के तीन तरीक़े हैं और ख़ुदा ताला ने वह तीनों ही सूरह फ़ातिहा में बयान कर दिए हैं:

पहला: अल्लाह ताला ने अपने हुस्न को दिखाया है जबकि तमाम तारीफ़ों के साथ अपने आपको विशेष किया है। ये क़ायदे की बात है कि ख़ूबी (विशेषता) स्वयं ही दिल को अपनी ओर खींच लेती है। ख़ूबी में एक चुंबकीय आकर्षण है जो दिलों को खींचती है जैसे मोती की चमक, घोड़े की सुंदरता, कपड़ों की चमक-दमक। अत: ये सौन्दर्य फूलों, पत्तों, पत्थरों, पशुओं, वनस्पतियों, पहाड़ों किसी चीज़ में हो उस की विशेषता है कि सहसा दिल को खींचता है। अत: ख़ुदा ताला ने पहला पड़ाव अपनी ख़ुदाई मनवाने का हुस्न रखा है जब 'अलहम्दु लिल्लाह' फ़रमाया कि समस्त प्रकार की प्रशंसाएं उसी के लिए हैं।

फिर दूसरा दर्जा एहसान का होता है इन्सान जैसे हुस्न की ओर आकर्षित होता है वैसे ही एहसान की ओर भी आकर्षित होता है। इसलिए फिर अल्लाह तआला ने

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، الرَّحْمٰنِ ، الرَّحِيْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

(रब्बुल आलमीन, अर्रह्मान, अर्रहीम, मालिक-ए-यौमिद्दीन सिफ़ात को बयान करके अपने एहसान की ओर तवज्जो दिलाई। लेकिन अगर इन्सान का माद्दा ऐसा ही ख़राब हो और वह हुस्न और एहसान से भी समझ न सके तो फिर **तीसरा ज़रीया** सूरत फ़ातिहा में 'ग़ैरिल मग़ज़ूब' कह कर सचेत किया है। उच्चतम श्रेणी के लोग तो हुस्न से फ़ायदा उठाते हैं और जो उन से कम दर्जे के हों वे एहसान से फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन जो ऐसे ही गंदी फितरत के हों उन को अपने तेज और क्रोध से सचेत (अलर्ट) किया है। यहूदियों को मग़ज़ूब (जिन पर खुदा का क्रोध भड़का) कहा है और उन पर ताऊन भी पड़ी थी। ख़ुदा ताला ने सूरह फातिहा में यहूदियों के मार्ग पर चलने से मना फ़रमाया। या यूं कहो कि ताऊन के सख्त अज़ाब से डराया है। बेबाक इन्सान पर शैतान ऐसा सवार है कि वे सुन तो लेते हैं परंतु पालन नहीं करते। असल ये है कि जब तक भावनाओं तथा वासनाओं पर एक मौत आकर उन्हें बिलकुल ठंडा न कर दे ख़ुदा ताला पर ईमान लाना मुश्किल है। अब तो खुदा के क्रोध के नमूने ख़तरनाक हैं अभी तीन महीने बाक़ी हैं ख़ुदा जाने क्या होने वाला है। (मल्फ़ूज़ात जिल्द-3)

★ ★ ★

रूहानी ख़ज़ाइन

पुस्तक: "इत्मामुलहुज्जत" (हुज्जत पूरी करना)

(हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित)

अल्लाह तआला ने अपने कथन فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ (अर्थात जब तूने मुझे मृत्यु दे दी) से (मसीह की मृत्यु की आस्था) को पक्का कर दिया है। इसलिए हे वह व्यक्ति, जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया और मुझे काफिरों में से शुमार किया। तू इस संबंध में विचार कर। और यह वह स्पष्ट आदेश है जिसे किसी विरोधी का कथन हदीसों से रद्द नहीं कर सकता और न ही मैदान में किसी विरोधी का बाण (तीर) उसे घायल कर सकता है, अत्याचारी के अतिरिक्त इसका कोई इन्कार नहीं कर सकता। वे लोग जिनके चिन्तन के झरने सूख चुके हों और उनकी दृष्टियां कमज़ोर और खोटी हों वे ख़ुदा की किताब और उसके स्पष्ट तर्कों पर दृष्टि नहीं डालते और वे उस व्यक्ति की भांति भटके हुए हैं जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों का अनुयायी हो और पागलों जैसी बातचीत करते हैं। वे कहते हैं कि शब्द तवफ़्फ़ा विशेष अर्थों के लिए नहीं बनाया गया बल्कि उसके अर्थ सामान्य हैं और उसकी बुनियादें सुदृढ़ नहीं, और वे झूठ गढ़ने वालों की भांति छल करते हैं। और जब उन से यह कहा जाए कि कृपालु ख़ुदा की किताब क़ुर्आन में यह शब्द जहां भी आया है वहां इसके अर्थ केवल और केवल मारने और रूह की अन्तिम साँस को क़ब्ज़ करने को होते हैं न की पार्थिव शरीरों के क़ब्ज़ करने के। फिर तुम किस प्रकार उन अर्थों पर आग्रह करते हो कि ख़ुदा की किताब और खैरुर्रुसुल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बयान से सिद्ध नहीं? तो वे इसके उत्तर में कहते हैं कि हमने तो अपने बाप-दादों को अपनी इस आस्था पर पाया और हम उसको अनन्तकाल तक नहीं छोड़ सकते।

फिर जब उनसे कहा जाए सबसे बढ़कर सच्चे मुफ़स्सिर ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लम ने इस आयत की तफ्सीर (व्याख्या) में शब्द 'तवफ्फा' अर्थात 'तवफ्फयतनी' की यही व्याख्या की है जैसा कि बुद्धिमानों से छिपा हुआ नहीं और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनका अनुकरण किया है ताकि वे इस प्रकार के भ्रमों की जड़ काट दे। और उन्होंने 'मुतवफ्फीका' के अर्थ 'मुमीतुका' के किए है, तो फिर तुम क्यों उन अर्थों को छोड़ते हो जो प्रथम श्रेणी के मासूम नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चाचा के बेटे से जो उच्च स्तर के शिक्षा-दीक्षा और हिदायत प्राप्त थे सिद्ध हैं? तो कहते हैं कि हम कैसे स्वीकार करें जबकि हमारे गुज़रे हुए बाप-दादे इस पर आस्था नहीं रखते थे। उन्होंने जो कुछ कहा है वह केवल अन्याय, असत्य और झूठ गढ़ना है। और उन्होंने उम्मत के पूर्वजों की रायों को परिधि में नहीं लिया सिवाए उन ग़लती खाए हुए लोगों के जो उनसे अधिक निकट थे और उन्होंने केवल फैजे आ'वज के उन लोगों का अनुकरण किया जो पहले ही गुमराह हो गए और वे क़ौम के वंचित लोगों में से थे। वे उन लोगों के कथनों को ग्रहण करते चले गए यहां तक कि सच स्पष्ट हो गया। फिर उनमें से कुछ ने तो शर्मिन्दा होकर रुजू कर लिया। हाँ जिन के दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी थी तो वे न तो सच्चाई को स्वीकार करने वाले हुए और न ही उपदेशकों के उपदेश ने उन्हें कोई लाभ पहुंचाया। हाँ ज्ञान में अटल विश्वास रखने

वाले उलेमा इनकी हालत पर रोते हैं और उन्हें (विनाश के) गढ़े के किनारे पर सोए हुए पाते हैं।

हाय अफ़सोस उन पर! वे अपने दिलों में क्यों नहीं सोचते कि 'तवफ्फी' के शब्द के अर्थ क़ुर्आनी गवाहों की निरन्तरता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आप के महामना सहाबी की तफ्सीर के द्वारा स्पष्ट हो गए हैं और जो क़ुर्आन की मनमानी तफ्सीर करता है वह मोमिन नहीं बल्कि शैतान का भाई है। यदि वे वास्तव में मोमिन हैं तो इससे बड़ा और कौन सा स्पष्ट तर्क हो सकता है और अगर शब्दों में उनके वांछित, निरन्तरतापूर्ण अर्थों से अधिकारिक तौर पर तसर्रुफ करना वैद्य हो तो फिर शब्द कोश और शरीअत से पूर्णतया विश्वास उठ जाएगा और सब आस्थाएं बिगड़ जाएंगी और मिल्लत एवं धर्म पर आपदाएं उतरेंगी। और जब भी अरब के कलाम में कोई शब्द आए तो हम पर अनिवार्य है कि अपनी ओर से उसके अर्थ न बनाएं और कम प्रयोग होने वाले अर्थों को अधिक प्रयोग होने वाले अर्थों पर प्राथमिकता न दें। सिवाए इसके कि कोई ऐसा लक्षण मौजूद हो जो मारिफत वालों (अध्यात्मज्ञानियों) के नज़दीक उस अर्थ की प्राथमिक करता को अनिवार्य कर दे और यही कार्य-प्रणाली प्रयास करने वालों की रही है। और जब उम्मत आस्थाओं की दृष्टि से तिहत्तर फ़िर्कों में विभजित हो गयी और हर एक ने यह समझा कि वह अहले सुन्नत में से है तो इन मत भेदों से निकलने का कौन सा मार्ग है और इन आपदाओं से छुटकारा प्राप्त करने का कौन सा उपाय है सिवाए इसके कि हम अल्लाह की मज़बूत रस्सी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें। अत: हे मोमिनों के गिरोहो! तुम पर क़ुर्आन (हमीद) का अनुसरण अनिवार्य है और जिसने उसका अनुकरण किया तो वह निस्सन्देह घाटे के मार्गों से मुक्ति पा गया। इसलिए अब विचार करो कि पवित्र क़ुर्आन मसीह अलैहिस्सलाम को मारता है और उसके बारे में अपने वर्णन को पूर्ण करता है। कोई हदीस भी इस अर्थ में क़ुर्आन की विरोधी नहीं बल्कि वह इसकी तफ्सीर करती और इर्फान बढ़ाती है। तुम बुख़ारी, ऐनी और फज़लुलबारी में पढ़ते हो कि 'तवफ्फी' के अर्थ मारने के हैं, जैसा कि (हज़रत) इब्ने अब्बास रज़ि. और हमारे सरदार (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जो समस्त इंसानों एवं जिन्नों के इमाम और नबी हैं, स्पष्ट वर्णन में साथ इसकी गवाही दी है। तो फिर हे भाइयो और मुसलमानों के गिरोहो! इसके बाद अन्य कौन सी बात शेष रह जाती है?

क़ुर्आन में मसीह का यह इक़रार मौजूद है कि उनकी मृत्यु के बाद ही उनकी उम्मत में बिगाड़ प्रकट हुआ। फिर यदि ईसा अलैहिस्सलाम की अब तक मृत्यु नहीं हुई तो तुम्हें अनिवार्य रूप से यह स्वीकार करना होगा कि ईसाइयों ने अब तक अपने धर्म को नहीं बिगाड़ा और जिन लोगों ने 'तवफ्फी' के कोई अन्य अर्थ बना लिए हैं तो ऐसे अर्थ सन्तोषजनक नहीं हैं और यह केवल और केवल उनकी इच्छाओं तथा उनके विचारों का दोष है। जिसके संबंध में अल्लाह तआला ने कोई दलील नहीं उतारी। जैसा कि यह बात बुद्धिमान और बुद्धि-कुशल वालों पर छिपी नहीं। यदि वे बैर रखने के कारण न रुके और जान-बूझ कर झूठ पर आग्रह करते रहे तो उनको (अपने) अर्थों के लिए हमारे सामने कोई प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए या यदि वे सच्चे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की कोई प्रमाणित व्याख्या (शरह) सामने लाएं।....शेष

★ ★ ★ (इत्मामुलहुज्जत पृष्ठ 8-13)

सम्पादकीय

23 मार्च, मसीह मौऊद दिवस

जमाअत अहमदिया के इतिहास में 23 मार्च का दिन बेहद अहम है। 23 मार्च, 1889 वह दिन था जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सूफी अहमद जान के घर लुधियाना में पहली बार बैअत ली और इस तरह अहमदिया जमाअत की स्थापना हुई जिसके द्वारा अल्लाह ने इस्लाम के पुनरुद्धार को मुक़द्दर कर रखा था। इससे पहले जब किसी निष्ठावान ने आपसे बैअत (निष्ठा की शपथ) लेने का निवेदन किया तो आपने यही उत्तर दिया कि अभी मुझे ख़ुदा की ओर से इसका आदेश नहीं दिया गया है। इसलिए अभी बैअत लेना उचित नहीं है। हो सकता है इस विषय में अल्लाह तआला कोई मार्गदर्शन करे।

इसके बाद 1 दिसंबर, 1888 को हुज़ूर ने "तबलीग" के नाम से बैअत लेने के बारे में पहली बार एक विज्ञापन दिया, जिसमें आप ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बैअत लेने का संदेश दिया। फिर 12 जनवरी, 1889 को, हज़रत मुस्लेह मौऊद के जन्म के दिन आप ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें 1 दिसंबर के विज्ञापन का उल्लेख किया और बैअत की दस शर्तों का वर्णन किया।

हज़रत साहब ने इस विज्ञापन में यह भी सलाह दी थी कि जो बैअत करना चाहें उन्हें सुन्नत के अनुसार इस्तिखारा करने के बाद बैअत के लिए उपस्थित होना चाहिए।

इसके बाद आप क़ादियान से लुधियाना गए और 4 मार्च 1889 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें बैअत करने के लिए तैयार लोगों को कुछ आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई थी और इस विज्ञापन में बैअत के उद्देश्य के बारे में भी वर्णन किया। और लिखा कि आप 25 मार्च तक लुधियाना में ही रहेंगे जो बैअत करना चाहते हैं वे 20 तारीख के बाद आएं।

हज़रत मियां अब्दुल्ला साहिब सिनौरी के कथन के अनुसार, 23 मार्च, 1889 को, जब हज़रत साहब ने पहली बार बैअत ली, तो आप एक कमरे में बैठ गए और शेख हामिद अली साहब से कहा कि जिसे मैं कहता जाऊँ उसे कमरे के अंदर भेजते जाएं। सबसे पहले हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब को बुलाया गया और उनसे बैअत ली। इसी तरह बाकी लोगों को भी एक-एक करके बुलाकर उनकी बैअत ली। उस समय बैअत के शब्द इस प्रकार थे- "आज, अहमद के हाथ पर, मैं अपने सभी पापों और बुरी आदतों से तौबा (पश्चात्ताप) करता हूं, जिनमें मैं ग्रस्त था, और मैं सच्चे दिल और दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिज्ञा करता हूं कि जहां तक मेरे पास ताकत और समझ है, मैं सभी पापों से अपने जीवन के अंतिम दिन तक बचता रहूँगा। मैं दुनिया के सुखों और आत्मा के सुखों से पहले धर्म को महत्त्व दूंगा और जहां तक संभव हो मैं 12 जनवरी की दस शर्तों का पालन करूंगा और मैं अभी भी अपने अतीत के पापों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से क्षमा चाहता हूं।"

अहमदिया मुस्लिम जमाअत् के संस्थापक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जमाअत् में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित शर्तें रखीं:

प्रथम : बैअत करने वाला (दीक्षित होने वाला) सच्चे दिल से इस बात की प्रतिज्ञा करे कि भविष्य

में उस समय तक कि कब्र में चला जाए शिर्क (अर्थात् अल्लाह तआला के साथ देवी–देवताओं और अन्य सृष्टि की उपासना का सिद्धान्त, अनेकेश्वरवाद) से बचता रहेगा।

द्वितीय : यह कि झूठ और व्यभिचार और बुरी दृष्टि और प्रत्येक दुराचार और अत्याचार और ख़यानत (धरोहर को हानि पहुँचाना) और कलह और विद्रोह की नीतियों से बचता रहेगा और तामसिक आवेगों के समय उनके वशीभूत नहीं होगा चाहे कैसा ही उत्तेजक आवेग हों।

तृतीय : यह कि ख़ुदा और उसके रसूल के आदेशानुसार पांचों समय की नमाज़ बिला नाग़ा अदा करता रहेगा और यथाशक्ति तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने और अपने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने और प्रत्येक दिन अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने और क्षमायाचना करने में निरन्तर लगा रहेगा और हार्दिक प्रेम से ख़ुदा तआला के उपकारों को याद करके उसकी स्मृति और प्रशंसा करना प्रतिदिन का नियम बनाएगा।

चतुर्थ : यह कि सामान्य रूप से सम्पूर्ण मानव-समाज और विशेषकर मुसलमानों को अपने तामसिक आवेगों के समय किसी प्रकार का अनुचित कष्ट नहीं पहुँचाएगा, न वाणी से, न हाथ से, न किसी अन्य प्रकार से ।

पंचम : यह कि प्रत्येक अवस्था सुख- दुःख, सम्पन्नता विपन्नता और सम्पदा-आपदा में ख़ुदा तआला के साथ वफ़ादारी करेगा और प्रत्येक स्थिति में अल्लाह तआला के निर्णय पर राज़ी होगा और उसके मार्ग में प्रत्येक अपमान और दुःख को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगा और किसी विपत्ति के आने पर मुँह नहीं फेरेगा अपितु आगे कदम बढ़ाएगा। शेष 25 पर

पत्रिका राह-ए-ईमान का पंजीकरण

1- समाचार पत्र का नाम : राहे ईमान

2- समाचार पत्र की पंजीयन संख्या:

PUNHI NO/ 1999/04052

3- भाषा: हिन्दी

4- प्रकाशन का नियत काल : मासिक

5- प्रकाशक एवं मुद्रक नाम:

शुएब अहमद

राष्ट्रीयता: भारतीय

पता: मुहल्ला अहमदिया

क़ादियान गुरदासपुर, पंजाब

6- संपादक: फरहत अहमद

राष्ट्रीयता: भारतीय

पता: मुहल्ला अहमदिया

क़ादियान, गुरदासपुर, पंजाब

7- मुद्रण का स्थान:

फज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रैस

पता: मुहल्ला अहमदिया

क़ादियान, गुरदासपुर पंजाब

प्रकाशन का स्थान:

मज्लिस खुद्दामुल अहमदिया, भारत

क़ादियान 143516, गुरदासपुर, पंजाब

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः

सय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक- 23.2.2024 मस्जिद मुबारक, इस्लामाबाद, टिलफोर्ड बर्तानिया

पेशगोई मुस्लेह मौऊद रज़ि० का संक्षिप्त वर्णन,
हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़िअल्लाहु अन्हो के स्तर एवं पदवी के बारे में गैरों की अभिव्यक्तियाँ तथा पाकिस्तान एवं यमन के अहमदियों और फलिस्तीनियों के लिए दुआ की तहरीक।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

आज मैं पेशगोई मुस्लेह मौऊद के कुछ आयामों का वर्णन करूँगा। जैसा कि हर अहमदी जानता है तथा हर साल इस पेशगोई के पूरा होने पर जलसे भी आयोजित किए जाते हैं। यह 20 फ़रवरी 1986 की पेशगोई है जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक विभिन्न गुणों वाले बेटे के जन्म की सूचना दी गई थी परन्तु इसके विषय में बयान करने से पहले मैं बच्चों तथा कुछ युवाओं को भी इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो यह कहते हैं कि जब हम जन्म दिन नहीं मनाते तो हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. का जन्म दिवस क्यूँ मनाया जाता है। इस बारे में स्पष्ट हो जैसा कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के जन्म को दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता बल्कि पेशगोई के पूरा होने पर जलसे किए जाते हैं। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ी. का जन्म तो 12 जनवरी 1989 का है। वालिदैन को पढ़ कर बच्चों को बताना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए कि पेशगोई मुस्लेह मौऊद क्या है। यह एक महान भविष्य वाणी है जो पिछले ग्रन्थों के अनुसार, जिनकी पिछले नबियों ने भी सूचना दी और फिर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की पेशगोई के अनुसार अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को यह घोषणा करने का निर्देश दिया था।

यह एक लम्बी पेशगोई है। इस भविष्य वाणी में उस लड़के के गुण बयान किए गए हैं जिनमें से एक दो का मैं वर्णन किए देता हूँ। फ़रमाया- वह अति बुद्धिमान एवं विवेक शील होगा।

वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ज्ञान से परिपूर्ण किया जाएगा। वह कैदियों को स्वतंत्रता दिलाने का कारण होगा। ये एक लम्बी पेशगोई की कुछ बातें हैं। फिर हमने देखा कि इसमें वर्णित समय के अन्दर वह लड़का पैदा हुआ तथा पेशगोई की पूरे पचास अथवा बावन बातों की पुष्टि करने वाला बना। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. की ख़िलाफ़त के काल का प्रत्येक दिन इस भविष्य वाणी के पूरा होने की शान को प्रकट कर रहा है तथा अहमदिया जमाअत की उन्नति का हर एक दिन इसका रौशन प्रमाण है। इस पेशगोई के संदर्भ में मैं न्याय प्रिय ऐसे लोगों की गवाहियाँ पेश करता हूँ जिनका जमाअत से कोई सम्बंध नहीं है तथा ये इस बर्रे-सगीर (द्वीप) के जाने माने लोग हैं।

एक शोधक, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार तथा इतिहासकार मौलाना गुलाम रसूल साहब मेहर ने शेख़ अब्दुल माजिद साहब को बताया कि आप लोगों की किसी किताब में उस महामान्य इंसान के कारनामों की पूरी जानकरी नहीं मिलती। हमने उन्हें निकट से देखा है, कई बार भेंट हुई है, मुस्लिम समाज के लिए उनका अस्तित्व पूर्णत्या बलिदान स्वरूप था। साम्प्रदायिकता का पक्षपात मैंने उनके अस्तित्व में तनिक भी नहीं देखा, वे अत्यंत बुद्धिमान थे। खेद है कि मुसलमानों ने मिर्ज़ा साहब की कदर नहीं की। भयंकर आंधियों के बावजूद मैंने मिर्ज़ा साहब रज़ी. को कभी निराश एवं निषक्रिय नहीं देखा।

लाला भीम सैन के पुत्र जनाब लाला कुंवर सैन साहब पूर्व चीफ़ जज कशमीर ने हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. का सम्बोधन जिसका शीर्षक है 'अरबी ज़बान का मकाम अलसिना आलम में है, के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने भाषण में कहा कि जो लैक्चर दिया गया, वह अत्यधिक ज्ञान तथा दार्शनिक शान अपने अन्दर रखता है। मुझे आशा है इस लैक्चर का प्रभाव मेरे हृदय पर लम्बी अवधि तक कायम रहेगा। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. तो सांसारिक शिक्षा की दृष्टि से प्राइमरी पास भी नहीं थे, इस शिक्षा से अल्लाह तआला ने उन्हें परिपूर्ण किया था जैसा कि अल्लाह तआला ने वादा किया था तथा गैर भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. के ख़लीफ़: होने के कुछ दिन बाद एक अमरीकी पादरी क़ादियान आया तथा कुछ महत्त्वपूर्ण धार्मिक सवाल पेश करते हुए कहा कि आजतक मुझे मुसलमानों का बड़े से बड़ा विद्वान इन सवालों का संतोष जनक जवाब नहीं दे सका। मैं इन सवालों को आपके ख़लीफ़: साहब रज़ी. के सामने पेश करने के लिए विशेष रूप से आया हूँ। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. ने अत्यंत धैर्य एवं शांति के साथ उन सवालों को सुना तथा ऐसे संतोष जनक उत्तर दिए कि पादरी कहने लगा कि मैंने आजतक ऐसी विवेक पूर्ण वार्ता तथा ऐसा प्रमाणिक भाषण किसी मुसलमान के मुंह से नहीं सुना। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ख़लीफ़: बहुत बड़ा स्कालर है तथा विश्व धर्मों पर इसकी दृष्टि अत्यंत गहरी है। यह कह कर उसने बड़े सम्मान पूर्वक हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. के हाथ को चूमा तथा वापस चला गया।

सियासत नामक अखबार ने लिखा कि धार्मिक मतभेद की बात को छोड़ कर देखें तो जनाब

बशीरुद्दीन महमूद साहब रज़ी. ने लेखकों के मैदान में जो काम किया है वह अपनी समृद्धता तथा उपयोगिता की दृष्टि से प्रशंसा योग्य है।

मौलाना मुहम्मद अली जौहर साहब गोल मेज़ कान्फ्रंस लंदन के हवाले से अपने हमदर्द नामक अख़बार में लिखते हैं कि यह आभार नहीं होगा कि जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद तथा उनकी इस सुसंगठित जमाअत का वर्णन इन पंक्तियों में न करें जिन्होंने अपना सम्पूर्ण ध्यान अकीदे के मतभेद के बिना मुसलमानों के हित के लिए आरक्षित कर दिया है। ये प्रतिष्ठित लोग यदि इस समय एक ओर मुसलमानों की राजनीति में भाग ले रहे हैं तो दूसरी ओर मुसलमानों के संगठन, तबलीग एवं व्यापार में भी अत्यंत संघर्ष के साथ व्यस्त हैं। वह समय अब दूर नहीं जबकि इस सुसंगठित समुदाय की कार्य शैली सामान्यत: पूरे इस्लाम के मानने वालों के लिए तथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए (जो बड़े बड़े मेम्बरों में बैठ कर, लीडर बन कर, बड़े ऊँचे दावे करते हैं परन्तु भीतर से ये केवल उनके बड़े घटिया प्रकार के दावे हैं) उनके लिए ये मार्ग दर्शक साबित होंगे।

डाक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल साहब के हवाले से ये बातें भी रिकार्ड में मौजूद हैं कि 24 मार्च 1927 को लाहौर में जलसा हुआ जिसकी अध्यक्षता अल्लामा इक़बाल ने की। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. ने वहाँ तक़रीर फ़रमाई जिसके बाद अल्लामा साहब ने कहा कि ऐसी तक़रीर लम्बी अवधि के बाद लाहौर में सुनने में आई है। विशेषत: जो क़ुर्आन शरीफ़ की आयतों से मिर्ज़ा साहब ने निष्कर्ष निकाला है वह तो अति उत्तम है। मैं अपनी तक़रीर को अधिक देर तक जारी नहीं रख सकता ताकि मुझे इस तक़रीर से जो आनन्द प्राप्त हो रहा है वह प्रभाव रहित न हो जाए।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. ने 1919 में लाहौर में 'इस्लाम में मुख़ालफ़त का आगाज़ शीर्षक से एक असाधारण लैक्चर दिया था। सय्यद अब्दुल क़ादिर साहब प्रधान अध्यापक इस्लामिया कालिज लाहौर ने अपने अध्यक्ष पद के भाषण में बयान किया कि यह सम्बोधन अत्यंत ज्ञान वर्धक है, मुझे भी इस्लाम के इतिहास में कुछ रूचि है तथा मैं दावे से कह सकता हूँ कि क्या मुसलमान तथा क्या गैर मुसलमान, थोड़े ही इतिहासविद हैं जो हज़रत उसमान के दौर के मतभेद की तह तक पहुंच सके तथा इस गम्भीर एवं पहले गृहयुद्ध के उपद्रव को समझने में सफल हुए। हज़रत मिर्ज़ा साहब को न केवल गृहयुद्ध के फितने को समझने में सफलता मिली बल्कि उन्होंने अत्यंत स्पष्ट एवं क्रमबद्ध तरीके से इन घटनाओं को बयान फ़रमाया है जिनके कारण निज़ाम-ए-ख़िलाफ़त लम्बे समय तक अस्थिर रहा। मेरा विचार है कि ऐसा प्रमाणिक लेख इस्लाम के इतिहास में रूचि रखने वाले दोस्तों की नज़र से नहीं गुज़रा होगा।

दमिश्क़ का अलउमर नामक अख़बार 10 अगस्त 1924 ई. 'मेहदी दमिश्क़ में' नामक शीर्षक में लिखता है कि आपको अत्यंत गहरा शोध करने वाला विद्वान तथा सब धर्मों तथा उनके इतिहास एवं दर्शन शास्त्र का गूढ़ ज्ञान एवं अध्ययन रखने वाला तथा अल्लाह की शरीअत की हिकमत और दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्तित्व पाया।

विख्यात पत्रकार तथा राजनीतिज्ञ मियाँ मुहम्मद शफ़ी ने हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. के निधन पर लिखा कि मिर्ज़ा महमूद अहमद ने ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद जिस तरह अपनी जमाअत को संगठित किया और जिस तरह सदर अंजुमन अहमदिया को एक क्रि या शील एवं जानदार संस्था बनाया, इससे उनमें अत्यंत सशक्त संगठन की प्रतिभा का पता चलता है यद्यपि उनके पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी परन्तु उन्होंने प्राईवेट तौर पर अध्ययन करके अपने आपको वास्तव में अल्लामा कहलाने के योगय बना लिया था। मिर्ज़ा साहब अत्यंत सुलझे हुए वक्ता तथा निपुण लेखक थे तथा हर एक उस अवसर को तुरन्त उपयोग में लाते थे जिससे जमाअत की उन्नति के मार्ग खुलते हों।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. ने विभिन्न शीर्षकों पर जमाअत का तथा सामान्य रूप में मुसलमानों का मार्ग दर्शन किया, उनकी पुस्तकें कई मोटी मोटी जिल्दों में उपलब्ध हैं, ख़ुत्बात हैं। पुराने रिकार्ड में से अप्रकाशित नोट्स अथवा ख़ुत्बात तथा तक़रीरों में से क़ुर्आन करीम की तफ़सीरें मिल रही हैं, वे भी इन्शाअल्लाह तआला प्रकाशित हो जाएँगी। अनेक पुस्तकें अंग्रेज़ी भाषा में भी प्रकाशित हो चुकी हैं जिनको उर्दू नहीं आती उन्हें इस ज्ञान के भंडार से लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। अल्लाह तआला हम सबको इस ज्ञान के ख़ज़ाने से लाभ प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करे।

हुज़ूरे अनवर ने फ़रमाया- आजकल पाकिस्तान में जमाअत के सामने मुखालिफत की दोबारा एक लहर शुरु हुई है। राजनेता एवं मौलवी जो चुनाव में हारे हैं अथवा अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम उन्हें नहीं मिले उनकी एक बड़ी संख्या फ़साद फैलाने के लिए फिर अहमदियों पर हमले कर रही है। इस लिए अहमदियों को जहाँ सावधान होना चाहिए वहाँ दुआओं एवं सदक़ा देने पर भी अत्यधिक ज़ोर देना चाहिए। अल्लाह तआला अहमदियों को सुरक्षित रखे।

यमन के अहमदियों के लिए भी बहुत दुआ करें। अल्लाह तआला उनके लिए भी सुविधाएँ पैदा फ़रमाए। उनके अनेक लोग बन्दी बनाए गए हैं तथा क़ैद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको जल्दी इस क़ैद से रिहाई फ़रमाए। फ़लिस्तीनियों के लिए भी दुआ करें अल्लाह तआला उन पर भी रहम फ़रमाए तथा बड़ी शक्तियों के अत्याचार से उनको मुक्ति प्रदार करे।

अन्त में हुज़ूरे अनवर ने घाना में जमाअत की स्थापना पर सौ साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले सौ साला जलसा सालाना की सफलता के लिए दुआ की तहरीक करते हुए फ़रमाया कि कल इन्शाअल्लाह यहाँ से जलसे में मेरी लाईव तक़रीर भी होगी, अल्लाह तआला हर दृष्टि से बरकत पूर्ण फ़रमाए।

टोल फ्री सम्पर्क अहमदिया मुस्लिम जमाअत क़ादियान-18001032131

☆ ☆ ☆

अल्लाह तआला की सही पहचान कैसे हो

(सैय्यदना हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, ख़लीफ़तुल मसीह सानी)

अनुवादक : फरहत अहमद आचार्य

ध्यान पूर्वक सुनने का आग्रह :- अब मैं अपने विषय की ओर लौटता हूँ। मैं कह चुका हूँ कि इरफ़ान-ए-इलाही की प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम की आवश्यकता है और इसके बिना यह वरदान प्राप्त नहीं हो सकता तथा न ही सम्पूर्ण ज्ञान के बिना हो सकता है। अत: जो कुछ मैं सुनाऊँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो क्योंकि ध्यान से सुने बिना कोई बात याद नहीं रह सकती और जो बात याद ही न रहे उसके अनुसार कर्म भी नहीं हो सकता। अत: मैं बड़ी मेहनत एंव निष्ठा से कहता हूँ कि इस समय यदि कोई सोया हुआ है तो जाग जाए। यदि कोई असावधान है तो सचेत हो जाए। यदि किसी का ध्यान और कहीं पर है तो इस ओर कर ले। क्योंकि मैं वह कुछ सुनाने लगा हूँ जिसके सुनने में तुम्हारा ही लाभ है। मैं इसके बदले में तुमसे कुछ मांगता नहीं, न ही कोई मांग है बल्कि केवल इस लिए सुनाता हूँ कि अपना वह कर्तव्य पूरा कर दूँ जो मुझ पर लागू होता है और तुम इससे लाभ प्राप्त कर लो। यदि तुम इसके अनुसार कर्म करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा तो देखोगे कि क्या कुछ तुम्हें प्राप्त होता है और तुम कितना आनन्द उठाते हो। परन्तु याद रखो जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा वह कोई जादू की बात नहीं होगी कि सुनते ही रात को कर्म कर लिया जाए और सवेरे इंसान अध्यात्मज्ञानी बन जाए। मैंने पहले ही कह दिया है कि इरफ़ान-ए-इलाही इस प्रकार नहीं मिला करता बल्कि अपने आपको मिटा देने से प्राप्त होता है। हाँ, इन बातों को याद रखने से यह लाभ होगा कि जिस प्रकार लोग शिकायत करते हैं कि परिश्रम करने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिलता, वह शिकायत तुमको पैदा न होगी। और तुम ख़ुदा तआला को उन्हीं विशेषणों के अनुरूप देख लोगे जो क़ुरआन करीम में बयान हैं। इन्शाअल्लाह तआला।

बिना माध्यम के दुआ क़बूल नहीं होती :- सबसे पहली जो बात मैं बयान करना चाहता हूँ वह प्रयास करने के सम्बंध में विशेष हिदायत है। यह बात भली भांति याद रखनी चाहिए कि हर एक वस्तु की प्राप्ति के कुछ साधन होते हैं। जब तक उन साधनों को उपयोग में न लाया जाए वह चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि दुआ से ख़ुदा मिल जाता है। नि:सन्देह दुआ बहुत बड़ी चीज़ है परन्तु उसके साथ भी कुछ अन्य साधनों की आवश्यकता है तथा जब तक वे न हों तो दुआ भी क़बूल नहीं हो सकती। जैसे कि कोई शादी करके बीवी के पास तो न जाए और दुआएं करता रहे कि मेरे यहां संतान हो जाए तो क्या उसकी दुआ क़बूल हो जाएगी, कदापि नहीं।

एक बुज़ुर्ग की कथा :- एक बुज़ुर्ग के विषय में लिखा है कि उनके पास कोई व्यक्ति आया और आकर कहा आप दुआ करें कि ख़ुदा मुझे बेटा दे। यह कह कर वह चल पड़ा। उससे उन्होंने पूछा कहां जाते हो। उसने कहा कहीं नौकरी करने जाता हूँ। उन्होंने कहा यदि तुम नौकरी करने जा रहे हो तो मेरी दुआ क्या क़बूल होगी। तो जब तक साधनों का उपयोग न किया जाए केवल दुआ करने से कुछ नहीं बन सकता और दुआ बिना प्रयास के कोई फल नहीं दे सकती।

बिना कर्म के दुआ कब लाभदायक है :- दुआ ऐसी स्थिति में काम आती है जब उसके साथ कर्म हो। हां, दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि बिना कर्म के दुआ लाभदायक होती है। एक तो यह कि ख़ुदा तआला की ओर से इंसान को आदेश दे दिया जाए कि अमुक कार्य के लिए दुआ कर, कर्म न कर। अर्थात् भौतिक सामान को इस कार्य के लिए उपयोग न कर। जैसे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को फ़रमाया गया था कि ताऊन (प्लेग) से बचने के लिए वे दुआ पर अधिक ज़ोर दें और टीका न लगवाएं तथा न आपकी जमाअत टीका लगवाए (कश्ती-ए-नूह, पृष्ठ 4, रूहानी ख़ज़ायन भाग 19, पृष्ठ 2) तो इसके बावजूद कि यह टीका ताऊन का इलाज था और है, ख़ुदा तआला ने आपको इसके लगवाने से मना कर दिया और दुआ का आदेश दिया और ख़ुदा तआला के फ़ज़्ल से अहमदी जमाअत उन टीका लगवाने वालों की अपेक्षा बहुत कम इस रोग का शिकार हुई।

दूसरी अवस्था वह होती है कि ऐसा अवसर हो कि इंसान काम ही न कर सके। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे जंगल में बन्दी बना लिया गया हो तथा उसके हाथ पाँव बांध दिए गए हों। अब क्योंकि यह व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता इस लिए केवल दुआ करना ही काफ़ी है। परन्तु जब इस प्रकार की रोकें न हों उस समय दुआ के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है। तो ये केवल दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब कि दुआ बिना कर्म के स्वीकृत हो सकती है, अन्यथा नहीं। फिर केवल दुआ तथा प्रयत्न करने से भी ख़ुदा नहीं मिल सकता। मैंने स्वंय देखा है कि कुछ लोग बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन उनको ख़ुदा नहीं मिल सकता। जिससे ज्ञात हुआ कि यह भी पर्याप्त नहीं। अब सवाल होता है कि जब कोई इन दोनों बातों से काम लेता है अर्थात् दुआ भी करता है और प्रयास भी तो फिर क्यों ख़ुदा नहीं मिलता ? इसका जवाब यह है कि उसका प्रयास उचित नहीं होता, वह कोशिश करता है परन्तु उचित कोशिश नहीं करता।

सफलता के लिए उचित कोशिश अनिवार्य है :- और सफलता के लिए शर्त यह है कि प्रयास किया जाए तथा उचित रंग में किया जाए। उदाहरणत: एक विद्यार्थी जो मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है उसके लिए आवश्यक है कि किताबें ख़रीदे तथा उन्हें पढ़े। परन्तु यदि वह किताबें तो न पढ़े और पूरे दिन दुआएं करता रहे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या उसे मिल जाएगा ? कदापि नहीं। अथवा क्या यदि वह सारा दिन उलटा लटका रहे या अपने शरीर में सूइयां मारता रहे और समझे कि मैं बड़ा परिश्रम कर रहा हूँ इस लिए पास हो जाऊंगा, तो क्या वह पास हो जाएगा? कदापि नहीं। अथवा एक व्यक्ति जो लोहार का काम सीखना चाहे वह सारा दिन नमाज़ पढ़ता रहे और सारी रात

सुबहानल्लाहि व बिहमदिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم पढ़ता रहे। जिसके विषय में रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ ،خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم (बुख़ारी, किताबुत्तौहीद)

अर्थात् दो कलमे ऐसे हैं कि ख़ुदा तआला को प्यारे हैं। ज़बान पर हल्के मालूम होते हैं परन्तु तोल में भारी हैं। अथवा पूरा दिन कुआँ खोदता रहे या कड़ाके की धूप में नंगा होकर लोटता रहे, तो लोहार का काम आ

जाएगा? कदापि नहीं। इस लिए हर एक काम में सफलता प्राप्त करने के लिए दुआ तथा पर्याप्त प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और जो ऐसा नहीं करता, वह चाहे कितनी ही दुआ करे तथा कितना ही परिश्रम करे, कठिनाइयां झेले, कभी सफल नहीं हो सकता। अत: क्योंकि सफलता के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त साधनों से काम लिया जाए।

मअरफ़त-ए-इलाही के तीन मार्ग :- इस लिए सबसे पहले ख़ुदा की पहचान प्राप्त करने के लिए ये तीन बातें बताता हूँ। पहली यह कि इंसान दुआ करे। दूसरी यह कि प्रयास करे। तीसरे यह कि उचित रूप से कोशिश करे। इसके बाद जो बातें मैं बताऊं, उनको याद कर लो और फिर प्रयत्न करो और इस रंग में कोशिश करो जो मैं बयान करूंगा तो इन्शाअल्लाह अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी।

आवश्यक प्रयास का तरीक़ा :- हां, सही कोशिश के लिए एक और बात आवश्यक है और वह यह है कि वह प्रत्येक दृष्टि से व्यापक होनी चाहिए जिनका किसी उद्देश्य की पूर्ति के साथ सम्बन्ध है। उदारणत: वह विद्यार्थी जो प्रवेश परीक्षा देना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि जहां इतिहास एवं भूगोल पढ़े वहीं गणित भी सीखे तथा इसके साथ वे बातें भी याद करे जिनका प्रवेश की परीक्षा के साथ सम्बन्ध है। परन्तु यदि कोई किसी विषय को छोड़ेगा और उसे याद नहीं करेगा तो यद्यपि अन्य विषयों में कितनी ही मेहनत तथा कोशिश करे, कभी सफल नहीं हो सकेगा। अत: किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासों का प्रत्येक दृष्टि से व्यापक होना अनिवार्य है।

इस्लाम पर आपत्ति तथा इसका जवाब :- लोग कहते हैं कि इस्लाम में संकीर्णता पाई जाती है। क्योंकि इस्लाम कहता है कि मेरे अतिरिक्त अन्य कोई धर्म सत्य नहीं है। जबकि चाहिए यह था कि कहा जाता कि हर एक धर्म पर चलने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आश्चर्य है कि यह आपत्ति करने वाले प्रकृति के नियम को नहीं देखते कि उसके हर एक काम से क्या परिणाम निकल रहा है। वे कहते हैं, जब एक हिन्दू, एक ईसाई, एक आर्य के दिल में ख़ुदा की मुहब्बत है तथा वह ख़ुदा को पाने का प्रयास भी करता है तो फिर क्या कारण है कि वह ख़ुदा को न पाए। मैं कहता हूँ इसका कारण है। जो लोहार का काम सीखने के लिए धूप में लोटने से इस काम के न आने का है। सब लोग जानते हैं कि जब तक किसी लक्ष्य के लिए पर्याप्त कोशिश न की जाए उस समय तक वह प्राप्त नहीं हो सकता। अत: जब दुनिया के कामों में यह नियम चलता है तो फिर क्या कारण है कि रूहानी बातों में यही नियम न चले। अत: धर्म की किसी बात में भी उस समय तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक उन नियमों का पालन न किया जाए जो उसके लिए सुनिश्चित हों।

सफलता के दो नियम :- किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के दो तरीक़े होते हैं। पहला यह कि कुछ सामान्य नियम होते हैं उनके अंतर्गत कुछ लोग काम सीखते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं और पढ़ाई का जो कोर्स निश्चित होता है वह पढ़ते हैं तथा सफल होते हैं। दूसरे कुछ विशेष गुर (मन्त्र) होते हैं उनको याद कर लिया जाए तो वह काम आ जाता है जिसके लिए वे गुर निश्चित होते हैं। जैसे कि बीज गणित के फ़ार्मूले होते हैं उनको याद कर लेने से बीज गणित का ज्ञान प्राप्त हो जाता है अथवा बनियों ने हिसाब करने के लिए विशेष प्रकार के गुर बनाए हुए होते है उनके द्वारा झट पट हिसाब कर लेते हैं। तो हर

एक काम के लिए एक सामान्य तरीक़ा होता है उसके अनुसार काम करने से सफलता मिल सकती है तथा कुछ विशेष गुर होते हैं उनके द्वारा अपेक्षाकृत इंसान सरलता पूर्वक उचित परिणाम तक पहुंच जाता है। हर एक बात के विषय में ये दोनों बातें पाई जाती हैं। चाहे वह काम आध्यात्मिक हो अथवा भौतिक। लेकिन याद रखना चाहिए कि गुर उसी समय लाभदायक तथा फलदायी होते हैं जब कि पहले सामान्य नियम ज्ञात हों। यह नहीं कि कोई केवल गुर सीख ले कि इंगलिश इस प्रकार पढ़ाई जाती है तो उसे इंगलिश आ जाए क्योंकि गुर वास्तव में काम को छोटा तथा जल्दी करने के लिए होते हैं न कि उसमें सफलता प्राप्ति के लिए।

इस समय मैं जो विषय बयान करने लगा हूँ मैं उसके सामान्य नियम बयान करूंगा। गुर नहीं बयान करूंगा क्योंकि वह एक व्यापक विषय है और गुर बयान करने में कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि यह ठीक है कि गुरों के द्वारा घन्टों का काम मिन्टों में तथा वर्षों का काम महीनों में हो सकता है। परन्तु उनके द्वारा उसी समय लाभ प्राप्त किया जा सकता है जब कि मूल सिद्धांतों का ज्ञान हो। इस लिए आवश्यक है कि पहले सामान्य नियम सीखे जाएं और जब इनके अनुसार काम आरम्भ हो जाए तो फिर कार्य को संक्षिप्त करने तथा परिणाम तक जल्दी पहुंचने के लिए गुरों को सीखा जाए। अत: क्योंकि वह अपने आप में एक अलग और व्यापक विषय है इस लिए मैं आज उसे नहीं छेड़ूंगा। यदि अल्लाह तआला ने तौफ़ीक़ दी तो फिर कभी बयान करूंगा और आज सामान्य नियम बयान करूंगा।

इरफ़ान-ए-इलाही का सम्बंध दिल से है, ज़बान से नहीं :- यहां यह बयान कर देना भी आवश्यक है कि मअरफ़त-ए-इलाही कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी वास्तविकता को शब्दों में बयान किया जा सके। यदि ऐसा हो सकता तो हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में डाली जा सकती और हर एक व्यक्ति इसको समझ सकता, परन्तु ऐसा नहीं होता। रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और किस को इंसानों से मुहब्बत एंव सहानुभूति हो सकती है। ख़ुदा तआला आपके सम्बन्ध में फ़रमाता है-

لَعَلَّکَ بَا خِعٌ نَّفْسَکَ اَلَّا یَکُوْنُوْ مُؤ مِنِیْنَ (सूर: अश्शुअरा:4)

अर्थात् - क्या तू अपने आपको इस लिए हलाक कर लेगा कि सब लोग मोमिन क्यों नहीं हो जाते। तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोगों के इतने अधिक शुभ चिंतक थे कि अल्लाह तआला ने उनके विषय में फ़रमाया है कि क्या तू उनके लिए अपने आपको हलाक कर लेगा। वे यदि अल्लाह की पहचान को शब्दों में बयान कर सकते तो अवश्य कर देते। परन्तु आप ने भी बयान नहीं किया। जिससे ज्ञात होता है इरफ़ान-ए-इलाही चीज़ ही ऐसी है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, उसका सम्बन्ध दिल से है। जैसा कि मैंने बताया इरफ़ान-ए-इलाही, ख़ुदा के पा लेने को कहते हैं और इसकी वास्तविकता शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यदि ऐसा हो सकता तो रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सबको आरिफ़ (अल्लाह तआला को जानने वाला) बना जाते। अत: मैं भी वास्तविकता बयान नहीं करूंगा और न कर सकता हूँ। हां, इसकी प्राप्ति के साधन जो बताए गए हैं वे बयान करूंगा।

लिखते हैं कि मुरीद (चेला) की अवस्था से पीर (गुरु) परिचित नहीं होता तथा पीर की हालत से मुरीद

अवगत नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि उनके दिल की जो दशाएं होती हैं वे एक दूसरे को मालूम नहीं होतीं और एक के दिल की स्थिति को दूसरा मालूम नहीं कर सकता। वास्तव में यह एक प्रकार के ज्ञान की क्षमता होती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहां तक कि जिसको ये प्राप्त होती है वह स्वंय भी इसे बयान नहीं कर सकता। हां, इसकी प्राप्ति के मार्ग हैं, वे बयान किए जा सकते हैं और वही मैं बयान करूंगा। आगे यह कि उनके अनुसार कर्म करने से क्या दशा उत्पन्न होती है? उसको न आज तक कोई बयान कर सका है तथा न ही मैं बयान कर सकता हूँ। जिस प्रकार यह तो किसी को बताया जा सकता है कि मीठा इस प्रकार बनता है, इस प्रकार का होता है परन्तु इसका स्वाद नहीं बता सकते, जब तक कि खिला न दें। इसी प्रकार यह तो बता सकते हैं कि इरफ़ान-ए-इलाही इस प्रकार होता है परन्तु यह नहीं बता सकते कि उसकी अवस्था क्या होती है। हां, जब कोई इसे प्राप्त कर ले तो उसे इसकी अवस्था स्वंय मालूम हो जाती है।

अल्लाह के अस्तित्व का पता लगाने के साधन :- अब मैं बयान करता हूँ कि ख़ुदा की पहचान प्राप्त करने के उपयुक्त साधन तथा मार्ग क्या हैं। यह तो मैं बता चुका हूँ कि इरफ़ान-ए-इलाही का अर्थ है उस अस्तित्व का पता लगाना जिसकी विशेषताओं को क़ुर्आन में पढ़ा है। अब यह देखना है कि पता लगाने के साधन कौन से हैं। इसके लिए याद रखना चाहिए कि यदि पता लगाने का यह अर्थ है कि इंसान ख़ुदा को अन्य वस्तुओं की भांति अपने सम्मुख अनुभव कर ले तथा उसे अपने भौतिक अंगों से छू ले तो इसके लिए आवश्यक है कि इंसान में भी वे बातें पाई जाएं जो ख़ुदा तआला में हैं। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि हमारे भौतिक अंग जिन चीज़ों को छूते हैं वे पदार्थ ही होती हैं तथा जितना जितना वस्तुओं में पदार्थ कम होता जाता है वे उतनी ही कम अनुभव होती जाती हैं इसका कारण यह है कि जब तक दो वस्तुओं में समरूपता न हो उस समय तक उनका परस्पर सम्बन्ध पैदा नहीं हो सकता। जैसे कि भैंस तथा ज्ञान में किसी प्रकार की समरूपता नहीं। अब यदि उसके सामने दर्शन शास्त्र बयान किया जाए तो कभी नहीं समझ सकेगी। इसी प्रकार तोते में यद्यपि ज़बान की समरूपता है परन्तु बुद्धि की समरूपता नहीं रखता। इस लिए आवाज़ की नक़ल तो उतार लेता है परन्तु कोई बात समझ नहीं सकता।

ख़ुदा के साथ एकरूपता पैदा करो :- इससे ज्ञात हुआ कि इरफ़ान-ए-इलाही के लिए एकरूपता तथा समानता होना आवश्यक है और ख़ुदा का इरफ़ान उसी समय प्राप्त हो सकता है जब कि ख़ुदा के साथ एकरूपता पैदा हो जाए तथा ख़ुदा के गुण इंसान के अन्दर आ जाएं। यह तो मैं नहीं कहता कि जब तक हमारा अस्तित्व ख़ुदा की भांति न हो जाए उस समय तक इरफ़ान-ए-इलाही प्राप्त नहीं हो सकता। हां, यह कहता हूँ जो नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰہِ अर्थात ख़ुदा का आचरण अपने अन्दर पैदा करो। (शेष अप्रैल की पत्रिका में पढ़ें.....)

(इरफान-ए-इलाही हिन्दी पृष्ठ 16-24)

☆ ☆ ☆

मसीह नासिरी अलैहिस्सलाम की
मृत्यु और जीवन की आस्था का महत्व

वफ़ात-ए-मसीह

(लेखक- हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब एम ए रज़िअल्लाहु अन्हो)

मे'राज की वास्तविकता

यहां स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न उठता है कि जब क़ुर्आन करीम में अल्लाह तआला स्पष्ट शब्दों में नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) के पार्थिव शरीर के साथ जीवित आकाश पर जाने को आपके मनुष्य होने के कारण निषिद्ध ठहराता है तो फिर मे'राज के अवसर पर नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) किस तरह आकाश पर जा पहुँचे? इसके उत्तर में भली-भांति याद रखना चाहिए कि नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) का मे'राज पार्थिव शरीर के साथ नहीं हुआ था अपितु वह एक सर्वोत्कृष्ट कश्फ़ था जो नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) को दिखाया गया और जिस प्रकार स्वप्न में प्राय: मनुष्य अपनी चारपाई पर लेटे हुए दूरवर्ती देशों की सैर कर लेता है। इसी प्रकार इस कश्फ़ी अवस्था में हुआ। सदात्मा लोगों के एक वर्ग की यही विचारधारा है कि आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) का मे'राज पार्थिव शरीर के साथ नहीं हुआ अपितु वह एक श्रेष्ठ कश्फ़ था। जिसमें आपकी और आपकी उम्मत की आगामी प्रगतियों के दृश्यों के तौर पर नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) को आकाशों की सैर कराई गई। हाँ कुछ मुसलमानों ने नि:सन्देह मे'राज को पार्थिव शरीर के साथ माना है परन्तु क़ुरआन शरीफ़ और सही हदीसें इस विचारधारा का खंडन करती हैं। प्रथम तो उपरोक्त आयत ही (अर्थात् आयत هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا) इस विचार को खंडित कर रही है यदि पार्थिव शरीर के साथ नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) आकाश पर जा सकते थे तो आपने क्यों मक्का के काफ़िरों को नकारात्मक उत्तर दे कर इस्लाम को मानने से वंचित कर दिया? यदि मे'राज पार्थिव शरीर के साथ हुआ था तो साधारण बात थी कि मक्का के काफ़िरों को उनकी माँग पर उनको यह दृष्य दिखाया जाता परन्तु आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) ने मनुष्य होने के नाते अपना पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर जाना निषिद्ध ठहराया। इससे स्पष्ट है कि मे'राज पार्थिव शरीर के साथ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त क़ुरआन शरीफ़ में मे'राज को रोया का शब्द अभिप्राय लिया गया है। जैसा कि कहा -

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ (बनी इस्राईल रुकू-6)

अर्थात् "हमने जो रोया तुझे दिखाई है वह लोगों के लिए एक परीक्षा के तौर पर है"।

फिर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत आती है कि मे'राज की रात को आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) का मुबारक शरीर पृथ्वी से पृथक नहीं हुआ (सीरत इबने हिशाम जिल्द1) जिस से सिद्ध होता है कि मे'राज पार्थिव शरीर से नहीं था अपितु आपको कोई और सूक्ष्म शरीर दिया गया था जैसा कि कश्फ़ में होता है फिर बुख़ारी जो हदीस की पुस्तकों में प्रमाणिकता की दृष्टि से प्रथम श्रेणी पर है। इसमें लिखा है कि

ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (बुख़ारी किताबुत्तौहीद)

अर्थात् "नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मे'राज में ये दृश्य देखने के उपरान्त जाग गए तथा

उस समय आप मस्जिद हराम में थे।"

इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मे'राज एक उत्तम श्रेणी का कश्फ़ था जो कश्फ़ के रूप में दिखाया गया न कि पार्थिव शरीर के साथ और यही उद्देश्य था।

ख़ुदा की ओर 'रफ़ा' की सही व्याख्या

अत: क़ुर्आन करीम इस बात को कदापि सहन नहीं करता कि कोई मनुष्य पार्थिव शरीर के साथ जीवित आकाश पर चला जाए अपितु इसके विपरीत स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है, परन्तु हज़रत मिर्ज़ा साहिब के विरोधी क़ुर्आन करीम की एक आयत से सिद्ध करने का प्रयास किया करते हैं कि अल्लाह तआला ने मसीह को जीवित आकाश पर उठा लिया था और वह आयत यह है :-

وَمَاقَتَلُوْهُ وَمَاصَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَاقَتَلُوْهُ يَقِيْنًۢا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

(सूरह अन्निसा, रूकू-22)

अर्थात् "यहूद ने न तो मसीह का वध किया और न ही सलीब पर लटका कर मारा अपितु वास्तव में घटना यह हुई कि मसीह उनकी दृष्टि में वध किए गए अपितु सलीब पर मारे गए जैसा बना दिया गया..... परन्तु वे कदापि, कदापि मसीह को मारने पर समर्थ नहीं हुए, अपितु मसीह को अल्लाह तआला ने अपनी ओर उठा लिया"।

इस आयत से सिद्ध किया जाता है कि अल्लाह तआला ने मसीह को आकाश की ओर उठा लिया था, परन्तु यदि सोच-विचार से काम लिया जाए तो सिद्ध करने का दोष स्पष्ट दिखाई देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नि:सन्देह रफ़ा हुआ क्योंकि रफ़ा के सन्दर्भ में क़ुर्आन करीम के शब्द स्पष्ट हैं, उनका इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु प्रश्न उठता है कि किस प्रकार और किस ओर रफ़ा(ऊपर उठाना) हुआ? क़ुर्आन करीम के शब्द ये हैं :-

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

अर्थात् "अल्लाह ने मसीह को अपनी ओर उठा लिया"।

अब यदि ख़ुदा की ओर उठाए जाने के अर्थ आकाश की ओर उठाए जाने के लिए जाएं तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ख़ुदा तआला आकाश तक सीमित है? क्या वह पृथ्वी पर मौजूद नहीं? क्या इस्लामी शिक्षा की दृष्टि से ख़ुदा प्रत्येक स्थान पर उपस्थित और दृष्टा नहीं? है और अवश्य है तो इन शब्दों के क्या अर्थ हुए कि ख़ुदा ने मसीह को अपनी ओर उठा लिया? इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर पाने के लिए आगे-पीछे के परिदृश्य पर दृष्टि डालें। यहूद का दावा था कि उन्होंने मसीह को सलीब पर लटका कर मार दिया तथा इस बात से वह यह परिणाम निकालते थे कि (नाऊज़ुबिल्लाह) मसीह एक लानती मौत मरा, क्योंकि तौरात की शिक्षानुसार सलीब पर मरना एक धिक्कारयुक्त (ला'नती) मौत है (इस्तिस्ना बाब-21, आयत-23) इस प्रकार जैसे यहूद मसीह का लानती (धिक्कृत) होना सिद्ध करते थे। उनके इस दावे के उत्तर में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मसीह कदापि सलीब पर नहीं मरा अपितु उसका तो अल्लाह की ओर रफ़ा हुआ अर्थात् तुम ने प्रयास किया था कि मसीह को धिक्कृत (लानती) मौत का शिकार बनाओ परन्तु अल्लाह तआला ने तुम्हारे प्रयासों को असफल किया और बजाए

इसके कि मसीह एक लानत वाली मौत से मर कर हाविया (नर्क का नीचे का तल) में गिरता अल्लाह तआला ने उसे अपनी ओर बुलन्द किया और उसे ख़ुदा की ओर आध्यात्मिक रफ़ा प्राप्त हुआ। ऐसा आध्यात्मिक रफ़ा ख़ुदा तआला के समस्त सानिध्य प्राप्त लोगों को प्राप्त होता है। जैसा कि क़ुर्आन करीम फ़रमाता है :-

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ (सूरह फ़ज्र रुकू-1)

अर्थात् "हे संतोष प्राप्त मनोवृत्ति लौट आ अपने प्रतिपालक की ओर इस अवस्था में कि तू स्वयं भी राज़ी हो और अल्लाह को भी राज़ी कर रही हो और मेरे दासों में सम्मिलित हो जा और मेरे स्वर्ग में ठिकाना बना।"

इस आयत से ज्ञात होता है कि ख़ुदा तआला के समस्त सानिध्य प्राप्त लोगों का रफ़ा ख़ुदा की ओर ही हुआ करता है। अत: रफ़ा के अर्थ इस आयत से भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं कि :-

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ

(सूरह अल-आ'राफ़ रुकू-22)

ख़ुदा हज़रत मूसा के एक विरोधी के बारे में जो पहले सदाचारी होता था जिसका नाम रिवायतों में "बल्अम बाऊर" वर्णन हुआ है फ़रमाता है कि "यदि हम चाहते तो अपने निशानों द्वारा उसका रफ़ा करते, परन्तु वह स्वयं पृथ्वी की ओर झुक गया।"

इस स्थान पर रफ़ा से आध्यात्मिक रफ़ा अभिप्राय लिया जाता है न कि शारीरिक रफ़ा, हालांकि यहां तो पृथ्वी का विपरीत प्रसंग भी विद्यमान है तो फिर क्यों अकारण हज़रत मसीह नासिरी के बारे में रफ़ा से शारीरिक रफ़ा अभिप्राय लिया जाए विशेषकर जब कि हम देखते हैं कि यहूद का यह आरोप था कि मसीह सलीबी अर्थात् ला'नती मौत मरा है तथा इससे वे यह परिणाम निकालते थे कि उसका आध्यात्मिक रफ़ा नहीं हुआ। इसके उत्तर में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मसीह सलीब पर कदापि नहीं मरा अपितु इस के विपरीत उसे आध्यात्मिक रफ़ा प्राप्त हुआ। यदि यहां रफ़ा से शारीरिक रफ़ा अभिप्राय लिया जाए तो आयत के कुछ अर्थ ही नहीं बनते। यहूद आरोप लगाते हैं कि मसीह सलीब पर मरने के कारण आध्यात्मिक रफ़ा से वंचित रहा अपितु नाऊज़ुबिल्लाह एक ला'नती मौत मरा, इस पर उन्हें उत्तर मिलता है कि नहीं, मसीह को अल्लाह तआला ने जीवित आकाश की ओर उठा लिया। प्रश्न कुछ और है और उत्तर कुछ और। एक मोटी बुद्धि रखने वाला मनुष्य भी उत्तर देते हुए यह सोच लेता है कि क्या मैं मूल प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ या कोई असंबंधित बात कह रहा हूँ, परन्तु नाऊज़ुबिल्लाह हमारे विरोधियों का ख़ुदा विचित्र है कि आरोप तो आध्यात्मिक रफ़ा के बारे में है और उत्तर में रफ़ा शारीरिक प्रस्तुत किया जा रहा है। अत: यह बात यक़ीनी है कि हज़रत मसीह के बारे में ख़ुदा की ओर रफ़ा से अभिप्राय आध्यात्मिक रफ़ा है जो समस्त ख़ुदा के सदात्मा लोगों का हुआ करता है न कि शारीरिक रफ़ा।

सारांश यह है कि **प्रथम** तो अल्लाह की हस्ती केवल आसमान के अन्दर सीमित नहीं अपितु ख़ुदा प्रत्येक स्थान पर मौजूद और दृष्टा है। अत: अल्लाह की ओर रफ़ा होने के अर्थ आध्यात्मिक रफ़ा के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं लिए जा सकते। **द्वितीय-** यह कि यहूद का आरोप आध्यात्मिक रफ़ा के बारे में था न कि शारीरिक रफ़ा के बारे में। अत: इसके उत्तर में शारीरिक रफ़ा प्रस्तुत करना व्यर्थ है और ऐसा उत्तर ख़ुदा जैसी नीतिवान

हस्ती की ओर कदापि सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। **तृतीय-** यह कि यदि अल्लाह की ओर उठाए जाने के अर्थ पार्थिव शरीर के साथ आकाश की ओर उठाए जाने के हैं तो फिर स्वीकार करना पड़ेगा कि समस्त सदात्मा लोग जीवित आकाश की ओर उठाए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:-

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

अर्थात् "हे सन्तोष प्राप्त आत्मा तू अपने ख़ुदा की ओर लौट आ।"

चतुर्थ- यह कि स्वयं क़ुर्आन करीम में रफ़ा के अर्थ आध्यात्मिक रफ़ा के आए हैं जैसा कि हज़रत मूसा के युग में बलअम बाऊर के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि :-

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ

अर्थात् "यदि हम चाहते तो उन निशानों के द्वारा उसका रफ़ा करते परन्तु वह तो स्वयं पृथ्वी की ओर झुक गया।"

एक और आयत है जो रफ़ा के अर्थों को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। अल्लाह तआला फ़रमाता है -

يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

(सूरह: आले इमरान, रुकू-6)

अर्थात् ख़ुदा फ़रमाता है कि

"हे ईसा मैं तुझे स्वाभाविक मौत दूँगा और तुझे अपनी ओर उठाऊँगा।"

इस आयत में क्रमानुसार रफ़ा को मृत्यु के पश्चात् रखा गया है जिस से रफ़ा के अर्थ साफ तौर पर स्पष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात् सदात्मा लोगों की आत्माओं का रफ़ा ख़ुदा की ओर हुआ करता है और उन्हें स्वर्ग की ओर उठा कर उच्च श्रेणी पर स्थान दिया जाता है परन्तु दुष्ट आत्माओं का रफ़ा किसी बुलन्द मरतबे की ओर नहीं होता अपितु वे नर्क की ओर गिरा दी जाती हैं। अत: इसी अर्थ के अनुसार ख़ुदा ने मसीह नासिरी को गिरने से बचा कर अपनी ओर उठा लिया और यही अभीष्ट था بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ वाली आयत जिसकी ऊपर बहस गुज़र चुकी है इसी आयत के उत्तर में आई है। इसमें अल्लाह तआला ने वादा किया है कि हे ईसा मैं तुझे मृत्यु देकर अपनी ओर उठाऊँगा तथा आयत رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ में अल्लाह तआला ने इस वादे के पूरा होने की ओर संकेत किया है कि हम ने वादे के अनुसार मसीह को अपनी ओर उठा लिया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी आयतें और हदीसें हैं जो हमारे अर्थों का समर्थन करती हैं। उदाहरणतया क़ुर्आनी आयत:-

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ

(सूरह फ़ातिर रुकू-2)

अर्थात् "अल्लाह ही की ओर पवित्र बातें चढ़ती हैं और शुभकर्म ही मनुष्य के रफ़ा का कारण होते हैं।"

इस आयत में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि प्रत्येक नेक मनुष्य को उसके शुभ कर्मों के कारण ख़ुदा की ओर रफ़ा प्राप्त होता है, तो अब क्या समस्त नेक मनुष्य आकाश पर जीवित उठाए जाते हैं?

इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला की ओर जाने के अर्थ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस कथन से भी स्पष्ट हैं कि :-

(सूरह: अस्साफ़्फ़ात-रुकू-3) اِنِّیۡ ذَاہِبٌ اِلٰی رَبِّیۡ

अर्थात् "मैं अपने रब्ब की ओर जाने वाला हूँ।"

फिर इस क़ुर्आनी आयत से तो समस्त मुसलमान अवगत हैं कि :-

अर्थात् "हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह की ओर ही हम जाएंगे।" (अलबक़रह रुकू-19)

तो क्या यहां अल्लाह की ओर जाने से यह अभिप्राय है कि हम आकाश की ओर जीवित उठाए जाएंगे?

لاحول ولا قوّة اِلّا بِاللّٰہ

फिर हदीस में आता है कि नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) ने अपने चाचा अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो को सम्बोधित करके फ़रमाया- رَفَعَكَ اللّٰہُ یَاعَمّ (देखो कन्ज़ुल उम्माल)

अर्थात् "हे चाचा! ख़ुदा आप का रफ़ा करे।"

इस हदीस में नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) ने अपने चाचा के लिए रफ़ा की दुआ की है, जिस से स्पष्ट है कि रफ़ा से अभिप्राय रफ़ा आध्यात्मिक है न कि शारीरिक क्यों कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो को कभी शारीरिक रफ़ा प्राप्त नहीं हुआ फिर और देखिए कि नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) ने हमें नमाज़ में पढने के लिए यह दुआ सिखाई है कि :-

اَللّٰھُمَّ ارْحَمْنِیْ وَاھْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَارْفَعْنِیْ

अर्थात् "हे मेरे ख़ुदा मुझ पर दया कर और मेरा पथ-प्रदर्शन कर तथा मुझे आजीविका दे और मुझे रफ़ा प्रदान कर।"

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम स्वयं भी सदैव यह दुआ पढ़ा करते थे। अब यदि रफ़ा के अर्थ शारीरिक रफ़ा के लिए जाएं तो बड़ी कठिनाई का सामना है और वह यह कि नबी करीम जीवन-पर्यन्त रफ़ा के लिए दुआ करते रहे, परन्तु आप की दुआ स्वीकार नहीं हुई और आप को शारीरिक रफ़ा प्राप्त न हुआ। हम ख़ुदा की शरण चाहते हैं इन बेहूदा बातों से।

इसके अतिरिक्त 'मुफ़रिदात राग़िब' जो क़ुर्आन करीम का प्रसिद्ध और प्रमाणित शब्दकोष है उसमें رَفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیۡہِ के अर्थ ये लिखे हैं कि رَفَعَہٗ مِنْ حَیْثُ التَّشْرِیْفِ अर्थात् "इमाम राग़िब साहिब फ़रमाते हैं कि इस आयत से अभिप्राय यह है कि "अल्लाह ने मसीह का स्तर ऊँचा किया।"

तथा शब्दकोष की प्रसिद्ध पुस्तक 'लिसानुलअरब' में लिखा है कि अल्लाह तआला का नाम राफिअ इसलिए है कि :-

ھُوَ الَّذِیْ یَرْفَعُ الْمُؤْمِنَ بِالْاِسْعَادِ وَاَوْلِیَاءَہٗ بِالتَّقَرُّبِ

अर्थात् "वह मोमिनों को सौभाग्य द्वारा और वलियों को सानिध्य द्वारा अपनी ओर उठाता है।"

अत: यह बात निश्चित है कि अल्लाह तआला के कलाम में और नबियों की परिभाषा में रफ़ा से अभिप्राय आध्यात्मिक रफ़ा होता है न कि शारीरिक! हम दावे के साथ कहते हैं कि जहां कहीं भी ख़ुदा के कलाम में जब बन्दे के बारे में रफ़ा का शब्द प्रयोग किया गया हो तो उस के अर्थ आध्यात्मिक रफ़ा के अतिरिक्त और कुछ

नहीं लिए गए और स्पष्ट है कि आध्यात्मिक रफ़ा में मसीह नासिरी की कोई विशेषता बिल्कुल नहीं अपितु समस्त नेक लोगों का रफ़ा अल्लाह तआला की ओर होता रहा है, होता है और होता रहेगा।

شُبِّهَ لَهُمْ और مَاصَلَبُوْهُ के अर्थ तथा सलीबी घटना की मूल परिस्थितियां

आगे वर्णन करने से पूर्व इस प्रसंग में एक नोट مَاصَلَبُوْهُ आयत की व्याख्या और सलीबी घटना के बारे में उल्लेख करना आवश्यक है। उपरोक्त नोट में हमने उल्लेख किया है कि हज़रत मसीह नासिरी सलीब पर लटकाए तो गए,परन्तु वह सलीब पर नहीं मरे परन्तु हमारे विरोधी मौलवियों की यह आस्था है कि हज़रत मसीह सलीब पर बिल्कुल चढ़ाए ही नहीं गए अपितु उन के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति चढ़ा दिया गया जो उन के साथ पूर्ण सदृश्यता रखता था और उनको स्वयं ख़ुदा ने आकाश पर उठा लिया। इस बहस को मसीह की मृत्यु और जीवन से तो कोई संबंध नहीं है क्योंकि हज़रत मसीह सलीब पर चढ़े या न चढ़े इस से हमें कोई मतलब नहीं अपितु हमारा उद्देश्य तो केवल इस से है कि वह आकाश की ओर जीवित उठाए गए या नहीं, परन्तु फिर भी कुछ मौलवी लोग अकारण इस विवाद को मध्य में ले आते हैं, इसलिए इसके बारे में कुछ लिखना हित से खाली न होगा। अत: स्पष्ट हो कि सल्ब के अर्थ समझने में हमारे मौलवियों ने बहुत धोखा खाया है और वह यह कि वे इसके अर्थ केवल सलीब पर चढ़ाने के करते हैं हालांकि ये अर्थ उचित नहीं हैं, शब्दकोषों की पुस्तकों में लिखा है-

اَلصَّلِيب:اَلقِتلَةُالمَعرُوفَةُ

(देखो लिसानुल अरब तथा ताजुल उरूस) अर्थात् सलीब देने के अर्थ प्रचलित पद्धति पर मारने के हैं अर्थात् किसी को सलीब पर लटका कर मारना। स्वयं सलीब शब्द के रूट में मारने का अर्थ मौजूद है क्योंकि सल्ब और सलीब के मूल अर्थ हड्डी के गूदे के हैं (देखो ताजुल उरूस, लिसानुल अरब तथा अक़रबुल मवारिद) इसलिए सल्ब के अर्थ यह हुए कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारना कि उसके शरीर से हड्डियों का गूदा बह निकले और यही सलीबी मौत है, क्योंकि सलीब की पद्धति यह होती थी कि अपराधी को सलीब की लकड़ी पर कीलों के द्वारा लटका दिया जाता था जहां वह भूख, थकान आदि से लटक-लटक कर मर जाता था और उसका शरीर सड़ जाता था। अत: **मा सलबूहो** के यह अर्थ करना कि उन्होंने मसीह को सलीब की लकड़ी पर लटकाया तक नहीं बिल्कुल ग़लत है अपितु इसके अर्थ सलीब पर लटका कर मारने के हैं। हमारे विरोधी किसी समय यह कहते हैं कि यदि ये अर्थ उचित हैं तो आयत में (मा क़तलूहो) का शब्द अधिक करने की क्या आवश्यकता थी केवल (मा सलबूहो) कहना पर्याप्त था, परन्तु यह आरोप भी उनकी इतिहास से अनभिज्ञता के कारण उत्पन्न हुआ है और वह यह कि हमारे विरोधियों ने समझ रखा है कि यहूद का केवल यही दावा था कि हम ने मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा कर मार दिया है जिसके उत्तर में ख़ुदा ने फ़रमाया कि यहूद ने मसीह अलैहिस्सलाम को कदापि नहीं मारा अपितु सलीब पर चढ़ाया तक नहीं, परन्तु यह ग़लत है यहूद में इस आस्था के बारे में दो वर्ग हैं। एक वर्ग का दावा है कि हमने पहले मसीह का वध किया फिर अपमानित करने के लिए सलीब पर मसीह का शरीर लटका दिया क्योंकि उन के यहां यह भी एक ढंग होता था कि अपराधी का शरीर दूसरों को शिक्षा देने के लिए किसी ऊँचे स्थान पर लटका देते थे। दूसरा वर्ग उनका यह कहता है कि मसीह

अलैहिस्सलाम को सलीब पर ही लटका कर मारा गया और सलीब पर ही उन की मृत्यु हुई। इन दोनों के खण्डन में ख़ुदा फ़रमाता है कि न तो मसीह को यहूद ने क़त्ल किया और न ही सलीब पर लटका कर मारा। क़ुर्आन करीम में जहां यहूद के दोनों वर्गों का दावा वर्णन किया है वहां केवल क़त्ल का शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि क़त्ल का शब्द एक तो सामान्य अर्थों में आता है जिस का तात्पर्य यह होता है कि किसी प्रकार मार डालना और दूसरे विशेषतौर पर तलवार इत्यादि के साथ मारने पर बोला जाता है (देखो 'ताजुलउरूस' तथा 'लिसानुलअरब') अत: जहां यहूद का दावा वर्णन हुआ है वहां क़त्ल को सामान्य अर्थों में रखा है जो मार देने के समस्त ढंगों पर व्याप्त है परन्तु उत्तर देते हुए व्याख्या की आवश्यकता थी इसलिए क़त्ल के सामने सल्ब का शब्द रख कर क़त्ल को उसके विशेष अर्थों में सीमित करके दोनों दावों का खण्डन कर दिया गया है।

यह आरोप कि ख़ुदा का मसीह अलैहिस्सलाम को यह कहना कि كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ عَنكَ (सूरह: माइदह, रुकू-15) अर्थात् "हमने तुझे बनी इस्राईल के उपद्रव से सुरक्षित रखा।" स्पष्ट करता है कि यहूद मसीह को सलीब पर लटकाने ही पर समर्थ नहीं हो सके एक नितान्त कमज़ोर आरोप है जो मात्र विचार करने की कमी से पैदा हुआ है। के अर्थ केवल यह हैं कि ख़ुदा ने मसीह को उन की उद्दण्डता से सुरक्षित रखा अर्थात् यहूद ने जो यह इरादा किया था कि उसे सलीब द्वारा मार डालें इस में उन्हें निष्फल किया। इससे यह परिणाम निकालना कि यहूद मसीह को कोई छोटा कष्ट भी नहीं पहुँचा सके एक मूर्खतापूर्ण बात है जिसकी न तो शब्द अनुमति देते हैं और न ही इतिहास से इस की कोई साक्ष्य मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे नबी करीम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) से भी ख़ुदा का वादा था कि وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (सूरह माइदह रुकू-10) अर्थात् "अल्लाह तुझे लोगों के उपद्रव से सुरक्षित रखेगा।" परन्तु बावजूद इसके आप को काफ़िरों के द्वारा इतने कष्ट पहुंचे कि आपके कथनानुसार इतने कष्ट किसी अन्य नबी को नहीं पहुँचे। एक युद्ध के अवसर पर आप के दो दांत टूट गए तथा 'तायफ़' और 'उहद' के अवसर पर घाव भी लगे तथा कई अन्य प्रकार से भी कष्ट दिए गए तो क्या ख़ुदा का वादा झूठा निकला? कदापि नहीं। अत: كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ के केवल अर्थ हैं कि यहूद के उपद्रवों से मसीह को सुरक्षित रखा और उन्होंने जो इरादा किया था कि उसे सलीब पर मारकर नाऊज़ुबिल्लाह एक ला'नती मौत मरने वाला सिद्ध करें उन्हें इस इरादे में असफल किया, क्योंकि तौरात में लिखा है कि झूठा नबी कत्ल किया जाएगा और यह भी लिखा है कि वह जो सलीब पर लटका कर मारा जाता है वह ख़ुदा का मलऊन (धिक्कृत) होता है।

फिर यहूद और ईसाइयों की सामूहिक साक्ष्य मौजूद है कि बहरहाल मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर अवश्य लटकाया गया तथा यही दो जातियां हैं जो इस मामले में मूल गवाह हो सकती हैं। आगे इस बात के निर्णय में कि मसीह अलैहिस्सलाम सलीब पर मरा या कि नहीं मरा। क़ुर्आन करीम की स्पष्ट साक्ष्य मौजूद है कि वह नहीं मरा और स्वयं इन्जील से ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के फलस्वरूप यही सिद्ध होता है कि वह सलीब पर नहीं मरा, परन्तु इस विस्तार की गुंजायश नहीं है, केवल संक्षिप्त तौर पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि (1) मसीह का सलीब पर मात्र दो-चार घंटे रहना जो सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ और युवा मनुष्य की मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं था (2) सलीब से उतरने के पश्चात् नियमानुसार उसकी हड्डियों का न तोड़ा जाना, जब

कि उसके साथ के दो व्यक्ति सलीब पर चढ़ाए गए अपराधियों की हड्डियां तोड़ी गईं। (3) उस समय वहाँ चारों ओर घोर अन्धकार का व्याप्त हो जाना तथा भयंकर भूकम्प का आना (4) रोम के शासक पैलातूस की पत्नी का स्वप्न कि मसीह निर्दोष है इसे छोड़ दिया जाए। (5) अगला दिन सब्त का दिन होना जब कि शरीअत की दृष्टि से सलीब पर कोई अपराधी नहीं रखा जा सकता था (6) पैलातूस की मसीह को मुक्त करने की इच्छा (7) स्वयं मसीह का विनय और गिड़गिड़ा कर ख़ुदा से दुआएं करना कि यह प्याला उस से टल जाए। (8) पैलातूस का मसीह की कथित मृत्यु के बारे में सन्देह करना (9) मसीह का स्वयं को यूनुस नबी अलैहिस्सलाम के साथ समरूप ठहराना जो तीन दिन मछली के पेट में जीवित रहकर अन्ततः जीवित ही बाहर निकल आया था (10) मसीह के हमदर्दों और मित्रों का प्रयास कि मसीह किसी प्रकार बच जाए (11) उन का उसे सलीब से उतारने के पश्चात् उसके शरीर को सरकार से मांगना तथा उसे एक हवादार और गुफ़ा जैसी खुली क़ब्र में रखना (12) उस के शरीर से बरछी मारने पर रक्त का निकलना (13) मसीह के बारे में रहस्यमयी ढंग से भेद छुपाने के लिए चौकीदारों को रिश्वत दिया जाना (14) मसीह अलैहिस्सलाम का सलीबी घटना के पश्चात् गुप्त रूप से क़ब्र से गायब होना तथा अपने कुछ हवारियों से मिलना और उन्हें अपने घाव दिखाना तथा इधर-उधर आते जाते देखा जाना (15) एक मरहम का मौजूद होना जो सदियों से चिकित्सा (तिब्ब) की पुस्तकों में मरहम-ए-ईसा के नाम पर प्रसिद्ध चला आता है जो उसके घावों पर लगाया गया था (16) फिर मसीह का यह कहना कि मैं बनी-इस्राईल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ जिसके कारण उसका अफ़गानिस्तान और कश्मीर की ओर जाना आवश्यक था जहां बनी इस्राईल के बहुत से क़बीले आबाद थे इत्यादि। ये समस्त बातें स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि इन्जील के अनुसार भी यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि मसीह अलैहिस्सलाम सलीब पर मरा हो अपितु सत्य यही है कि वह घावों की सख़्त पीड़ा के कारण एक गहरी बेहोशी की अवस्था में था, परन्तु जब उसकी भली-भांति देख-रेख की गई तो वह स्वस्थ हो गया और गुप्त तौर पर अपने देश से प्रवास करके बनी इस्राईल की खोई हुई भेड़ों की खोज में दूसरे देश की ओर प्रस्थान कर गया।

बहस के अन्तर्गत आयत में जो شُبِّهَ لَهُمْ के शब्द हैं उनके ये अर्थ करना कि कोई और व्यक्ति मसीह के समरूप बना दिया गया था बिल्कुल ग़लत और हास्यास्पद बात है। **प्रथम** तो यह सरासर अन्याय है कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे निर्दोष व्यक्ति को सलीब पर चढ़ा दिया जाए। **द्वितीय-** यह कि उन शब्दों के किसी नियम के अन्तर्गत ये अर्थ नहीं हो सकते कि मसीह के सदृश कोई और व्यक्ति बना दिया गया, क्योंकि **شُبِّهَ** का शब्द भूतकाल कर्मवाचक है तथा इस का सर्वनाम एक वचन अज्ञात और छुपा हुआ है और इस शब्द के अर्थ ये हैं कि "समरूप बना दिया गया" और यही अर्थ हमारे विरोधी भी स्वीकार करते हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि कौन समरूप बना दिया गया है और किसके संदिग्ध बना दिया गया? हमारे विरोधी मौलवी लोग इस अवसर पर एक बाहरी व्यक्ति को अकारण मध्य में ले आते हैं कि उसे मसीह के समरूप बना दिया गया, हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति का इस आयत में क्या, इसके करीब-करीब भी कोई चर्चा नहीं है। स्पष्ट है कि जो समरूप बनाया गया और जिसके समरूप बनाया गया उन दोनों का आयत के अन्दर या उस से मिलता-जुलता वर्णन होना चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं कि अपनी ओर से कोई बात क़ुर्आन करीम के अन्दर डाल दे। यह

तो यहूदियों वाला अक्षरान्तरण हो जाएगा। आयत में केवल मसीह की चर्चा है या इस बात की चर्चा है कि यहूद ने दावा किया कि मसीह क़त्ल किया गया और सूली दिया गया है। **(शेष अप्रैल की पत्रिका में पढ़ें.....)**

(किताब 'हुज्जतुल बालिग़ा' पृष्ठ 7-22)

☆ ☆ ☆

पृष्ठ 7 का शेष

षष्टम : यह कि रूढ़ियों और लोभ लालसा के अनुसरण से रुक जाएगा और क़ुर्आन शरीफ की आदेशों को पूर्ण रूप से अपने ऊपर लागू करेगा और अल्लाह तथा उसके रसूल के आदेशों को अपनहरकाम में मार्गदर्शक बनाएगा।

सप्तम : यह कि अहंकार और अभिमान को सर्वथा त्याग देगा और शालीनता और सदाचार और दीनता और निरीहता और नम्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करेगा।

अष्टम : यह कि धर्म और धर्म की प्रतिष्ठा और इस्लाम के प्रति सहानुभूति को अपने प्राण और अपने धन और अपनी मान-मर्यादा और अपनी सन्तान और अपने प्रत्येक सगे सम्बन्धी से प्रियतम समझेगा।

नवम : यह कि केवल अल्लाह तआला के लिए समस्त मानवजाति से सहानुभूति का व्यवहार करेगा और यथासम्भव अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों और संसाधनों से मानव समाज को लाभ पहुँचाएगा।

दशम : यह कि केवल ख़ुदा तआला के लिए इस विनीत से भ्रातृ-सम्बन्ध, पुण्यादेशों का पालन करने का इक़रार करते हुए स्थापित करके उस पर आजीवन क़ायम रहेगा। और इस भ्रातृ-सम्बन्ध में ऐसा उच्च कोटि का होगा कि उसका उदाहरण सांसारिक रिश्तों और सम्बन्धों और समस्त सेवकजन्य अवस्थाओं में पाया न जाता हो। (इश्तिहार तक्मील-ए-तब्लीग़ 12 जनवरी सन् 1889 ई.)

आज भी जो बैअत करता है वह इन उपरोक्त दस शर्तों के पालन करने का वचन करता है।

Asifbhai Mansoori 9998926311
Sabbirbhai 9925900467

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

Your's
CAR SEAT COVER

Mfg. All Type of Car Seat Cover

E-1 Gulshan Nagar, Near Indira Nagar
Ishanpur, Ahmadabad, Gujrat 384043

LIYAKAT ALI
Ph. 9899221402
9899221457

FENLEYROSH

Fenley Rosh Healthcare Pvt. Ltd.
Frequentideas Group City Quay
Liverpool L3 4fD United Kingdom
c-5/1015.2ndfloor,
opposite CISF Group Center
New Vasant Kunj, Road, New Delhi-37
011-3231790

www.fenleyrosh.com | info@fenleyroshhealthcare.com

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

SAKTI BALM

INDICATION: SHAKTI BALM GIVES RELIEF FROM STRAINS CUT, LUMBAGO COUGHS, COLD, HEADACHE AND OTHER ACHESAND PAINS FOMENTATION OF THE AFFECTED PART HELPS TO RELIFE PAIN QUICKLY.

AYURVEDIC PAIN BALM
Prop: SK.HATEM ALI

ALL INDIA AVAILABLE

SOUTH 24 PARGANA, DIAMOND HARBOUR, WEST BENGAL

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

RSB Traders & whole seller

Specialist in Teddy Bear Ladies & Kids items, All Types of Bags & Garments items

Mob: 9647960851
9082768330

Branch: Aroti Tola Po muluk Bolpur-Birbhum
Head office: Q84 Akra Road Po.Bartala, Kolkata-18

INDIA MOVES ON EXIDE

M.S.AUTO SERVICE
2-423/4 Bharath Building
Railway Station Road Kachegud
Hyderabad.500027(T.s)

Cell :9440996396,9866531100

METRO PLASTIC PRODUCTS

YUBA

QUALITY FOOTWEAR

E-mail:yuba.metro@yahoo.com

{AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY}

H&O & FACTORY :20 A RADHANATH CHOUDHURAY ROAD
KOLKATA700015,PH:2328-1016

Fawad Anas Ahmed

GOLDEN GROUP REAL ESTATE

दुआओं का आवेदक

DISTT. YADGIR - 585 201
KARNATAKA
Ph. : 9480172891

सय्यदना हज़रत अमीरुल मौमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

अनुवादक: सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद M.A.

प्रश्न : श्री अमीर साहिब जर्मनी ने हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहुताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की ख़िदमत अक़्दस में कौरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले हालात में नमाज़ बाजमाअत के लिए बाहम नमाज़ियों के दरमयान डेढ़ मीटर का फ़ासिला रखने के बारे में राहनुमाई चाही है? जिस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने मकतूब दिनांक 28 अप्रैल 2020 ई. में इस बारे में निमंलिखित हिदायात से नवाज़ा। हुज़ूर ने फ़रमाया :

उत्तर : आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के इरशाद

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

के तहत इस्लाम के हर हुक्म का आधार नीयत पर है। अत: नमाज़ बाजमाअत के लिए जो नमाज़ियों को आपस में कंधे से कंधा, घुटने से घटना और टख़ने से टख़ना मिला कर खड़े होने और बाहम दरमयान में फ़ासिला न छोड़ने की ताकीद फ़रमाई गई है, इसकी एक हिक्मत यह वर्णन की गई है कि अगर तुम ज़ाहिरन अपने अंदर दूरी पैदा कर लोगे तो शैतान तुम्हारे दरमयान अपनी जगह बना कर तुम्हारे दिलों में मतभेद पैदा कर देगा।

अब जबकि मजबूरी है और हुकूमतें अपने शहरियों की भलाई के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं तो जब हम हुकूमती क़वानीन के मुताबिक़ इस तरह बाहम फ़ासले के साथ नमाज़ में खड़े होंगे तो चूँकि हमारी नीयत यह नहीं कि हमारे दरमयान फूट पड़े या हमारे दरमयान शैतान मतभेद डाल दे, बल्कि हमारी तो यही नीयत है कि हम मुत्तहिद रहें और मिलकर इस बीमारी का मुक़ाबला करें और अवाम की भलाई के लिए किए जाने वाले इन हुकूमती इक़दामात में उनके साथ तआवुन करें तो इस नीयत के साथ इज़्तेरारी हालत में नमाज़ बाजमाअत में नमाज़ियों के दरमयान फ़ासिला रखने में कोई हर्ज नहीं। और इस का इसतंबात सफ़र में बहालत मजबूरी सवारी पर नमाज़ पढ़ने से भी किया जा सकता है, क्योंकि उस वक़्त भी कंधे से कंधा, घुटने से घटना और टख़ने से टख़ना नहीं मिला होता और बाज़-औक़ात नमाज़ियों के दरमयान बाहम फ़ासिला भी होता है। अत: जिस तरह सफ़र में मजबूरी की वजह से करना आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुन्नत से साबित है तो इस बीमारी की मजबूरी की हालत में भी नमाज़ियों के दरमयान फ़ासिला रखने में कोई हर्ज नहीं।

अल्लाह तआला रहम फ़रमाए और जल्द इन मुश्किल हालात को सारी दुनिया से दूर कर दे ताकि उसके इबादतगुज़ार बंदे फिर पूरी शर्तों के साथ और अहसन अंदाज़ में अपनी इबादतों के नज़राने अपने रब के हुज़ूर पेश करने की तौफ़ीक़ पाएं। आमीन।

सज्दे में अल्लाह तआला से दुआ करो कि अल्लाह तआला हमें अपना क़ुरब अता करे। अल्लाह से कहो

जो दौलत मैं तुझ से मांग रहा हूँ वह तुम ही हो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे तेरा क़ुर्ब (सानिध्य) चाहिए।

अल्लाह से यह दुआ करो कि जिस वादे के साथ तुम जमाअत अहमदिया में आए हो अल्लाह तआला इस वादे को पूरा करने की, निभाने की तौफ़ीक़ दे।

और तुम एक अच्छे मुरब्बी और मुबल्लिग़ बन कर निकलो और अपने लोगों में तब्लीग़ करके इस क़ौम को अल्लाह तआला के सामने झुकाने वाले बनो।

प्रश्न : इस प्रश्न पर कि रोज़े के दौरान यदि किसी महिला के माहवारी के दिन शुरू हो जाएं तो उसे रोज़ा खोल लेना चाहिए या उस रोज़ा को मुकम्मल कर लेना चाहिए। और जब ये दिन ख़त्म हों तो सेहरी के बाद पाक साफ़ हो सकते हैं या सेहरी से पहले पाक होना आवश्यक है? हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2020 में इस प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर दिया। हुज़ूर ने फ़रमाया :

उत्तर: महिलाएं की इस फ़ित्रती हालत को क़ुरआन-ए-करीम ने "أَذًى" अर्थात् कष्ट की हालत क़रार दिया है। और इस्लाम ने इस कैफ़ीयत में महिलाएं को प्रत्येक किस्म की इबादात के बजा लाने से रुख़स्त दी है। इसलिए जिस वक़्त माहवारी के दिन शुरू हो जाएं उसी वक़्त रोज़ा ख़त्म हो जाता है और उन दिनों के पूरी तरह ख़त्म होने पर और मुकम्मल तौर पर पाक होने के बाद ही रोज़े रखे जा सकते हैं। तथा जो रोज़े इन दिनों में (आरंभ और अंत वाले दिन के साथ छूट जाएं,) इन रोज़ों को रमज़ान के बाद किसी वक़्त भी पूरा किया जा सकता है।

प्रश्न : एक मित्र ने हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के नाम अपने पत्र में हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हो से मर्वी एक हदीस कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हारे एक ख़ज़ाना की ख़ातिर तीन व्यक्ति क़िताल करेंगे (और मारे जाऐंगे) तीनों ख़लीफों (हुकमरान) के बेटे होंगे लेकिन वह ख़ज़ाना उनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। फिर पूर्व की जानिब से स्याह झंडे नमूदार होंगे वे तुम्हें ऐसा क़तल करेंगे कि इस से क़बल किसी ने ऐसा क़तल न किया होगा। इस के बाद अपने कुछ और बातें भी वर्णन फ़रमाएं जो मुझे याद नहीं, फिर फ़रमाया जब तुम इन (महदी) को देखो तो उनकी बैअत करो जबकि तुम्हें बर्फ़ पर घुटनों के बल घिसट कर जाना पड़े। क्योंकि वह ख़लीफ़तुल महदी हैं।" दर्ज करके इस के एक हिस्सा की व्याख्या कर के बारे में हुज़ूर की राय दरयाफ़त की। तथा हदीस के एक हिस्सा के बारे में मज़ीद वज़ाहत चाही। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने मकतूब दिनांक 30 मई 2020 मे इस प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर इरशाद फ़रमाया। हुज़ूर ने फ़रमाया :

उत्तर : आप ने इस हदीस का हवाला बहर-ए-ज़रख़ार से दर्ज किया है जबकि यह हदीस सहा सित्ता में से सुंन इब्ने माजा किताब फ़ितन बाब ख़ुरूज महदी में भी रिवायत हुई है। हदीस में वर्णन कंज़ और ख़लीफों के बेटों के बारे में आपकी वर्णन करदा व्याख्या एक ज़ौक़ी व्याख्या है।

मेरे ख़्याल में इस में आंहज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उम्मत-ए-मुस्लिमा में आगे ज़माने में नमूदार

होने वाले विभिन्न वाक़ियात की ख़बरदी है। जिनमें कुछ वाक़ियात दुनियावी उमूर से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ अध्यात्मिक उमूर के सम्बन्ध में हैं। खज़ाने से मुराद जबकि बहुत से उल्मा ने ख़ाना काअबा का ख़ज़ाना मुराद लिया है, परन्तु वे ख़ज़ाना तो बहुत से हुकमरानों के हाथ लगे भी हैं। इसलिए हदीस में मज़कूर ख़ज़ाना से मुराद ख़ाना काअबा का ख़ज़ाना मुराद नहीं हो सकता क्योंकि हदीस मे हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़र्मा रहे हैं कि वह ख़ज़ाना उनमें से किसी को नहीं मिलेगा। इस लिए इस से मुराद वह अध्यात्मिक ख़ज़ाना है जिस की आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने बाद ख़िलाफ़त अला मिनहाज अल् नबूव्वत के इजरा की सूर: में बशारत अता फ़रमाई थी। और चूँकि इस खज़ाने को पाने के लिए क़ुरआन-ए-करीम ने सबसे प्रथम शर्त ईमान और अमल-ए-सालेह क़रार दी है, जो इन दुनियावी हुकमरानों में मफ़क़ूद हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इसके हुसूल के लिए क़िताल अर्थात् जंगें तो बहुत कीं लेकिन किसी के हाथ वह अध्यात्मिक ख़ज़ाना न आया।

इसीलिए इस में आंहज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने खज़ाने के लिए क़िताल करने वालों के लिए केवल "इब्ने ख़लीफ़" के शब्द प्रयोग फ़रमाए हैं। अर्थात् वह ख़लीफ़ा बमानी जांनशीन होंगे लेकिन अल्लाह तआला की तरफ़ से क़ायम करदा ख़लीफ़ा या नुबुव्वत की बिना पर मिलने वाली ख़िलाफ़त के ताबे ख़लीफ़ा नहीं होंगे। जबकि इसी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस व्यक्ति के लिए जिसे यह ख़िलाफ़त अला मिनहाज-ए-नबूव्वत का अध्यात्मिक ख़ज़ाना मिलना था "ख़लीफ़तुल महदी" के शब्दों प्रयोग फ़रमाए हैं।

इस हदीस में मुसलमानों के क़तल-ओ-ग़ारत का जो वर्णन है, आप ने उस के बारे में अपना ख़्याल ज़ाहिर किया है कि वह महदी के माध्यम से होगा जो मेरे नज़दीक दरुस्त नहीं है। यदि इस से मुराद ज़ाहिरी क़तल ओ ग़ारत और ख़ूँरेज़ी ली जाए तो यह महदी के माध्यम से कदापि नहीं हो सकती बल्कि इस से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस (वर्णित मिशकात मसाबीह) में مُلْكًا عَاضًّا और مُلْكًا جَبْرِيَّةً के शब्दों में वर्णन भविष्यवाणी के अनुसार, इन प्रत्येक दो अदवार में मुसलमानों की आपस की जंगों में होने वाली रक्तपात और हत्या और खून खराबा है। तथा तेरहवीं सदी में मंगोलों के हाथों होने वाली मुसलमानों की क़तल-ओ-ग़ारत मुराद है।

ख़लीफ़तुल्लाह अल् महदी के माध्यम से इस क़तल-ओ-ग़ारत के घटित न होने की एक दलील यह भी कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आने वाले महदी की एक निशानी "يَضَعُ الْحَرْبَ" अर्थात् वो जंग-ओ-जदाल और किशत-ओ-ख़ून का ख़ातमा कर देगा। (सही बुख़ारी किताब अंबिया बाब नुज़ूल ईसा) वर्णन फ़रमाई है। अत: यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ़ तो हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आने वाले महदी को अमन-ओ-शांति का अलमबरदार क़रार दे रहे हों और दूसरी तरफ़ इसी के माध्यम से उम्मत-ए-मुहम्मदिया के लोगों की ऐसी ख़ूँरेज़ी की सूचना दे रहे हों जैसी ख़ूँरेज़ी पहले ज़मानों में कभी किसी ने न की हो?

शेष पृष्ठ 32 पर

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○ (سورہ بنی اسرائیل، آیت 31)

LUCKY BATTERY CENTRE

BATTERY & DIGITAL INVERTER

Thana Chhak, NH-5 Soro
Balasore, Odisha
Pin 756045
e-mail : abdul.zahoor786@gmail.com

Mob. : 09438352786, 06788221786

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○ (سورہ بنی اسرائیل، آیت 31)

Prop.
Sk. Riyazuddin

Moblie: 9437188786
9556122405

KING TENT HOUSE

At. Ashram Chak, P.O. Soro, Distt. Balasore, ODISHA

Prop : Sk. Ishaque

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (النحل 12)

Phangudubabu : 7873776617
Papu : 9337336406
Lipu : 9778116653

FFT Fruits

FAIZAN FRUITS TRADERS

Near Railway Gate, Soro, Balasore, Odisha - 756045

PAPU LIPU ROAD WAYS
All India Truck Supplier
Papu : 9337336406, Lipu : 9437193658, 9778116653,

Sayed Wasim Ahmad

Mobile
09937238938

محبت سب کے لئے نفرت کسی سے نہیں

RUKSAR AGENCY

Pran Juice, Gandour Food Products,
Monginis Cake, Raja Biscuit etc.

Mubarakpur, At. Soro,
Distt. Balasore (Odisha)

REHAN'S

REHAN INTERNATIONAL

WE ARE ON

snapdeal
flipkart
amazon.com
Paytm

Ph: 7702857646
rehaninternational@gmail.com

We accept All Debit & Credit Cards

Urfan Ahmed Saigal
9550147334
deco.leathers@gmail.com

DECO LEATHERS

Genuine Quality
We Undertake Complimentary Orders Also
Manufacture

Address: 1/1/129, Alladin Complex 72, SD Road
Clock Tower, Beside Kamar, Hotel, Secunderabad-3

Sayed K. A. Rihan, M.B.A.
Proprietor
Tel: 9035494123/9740190123

B.M.S.ENTERPRISES

INDUSTRIAL UTILITY SOLUTIONS

21, Erannappa Layout Ambadkar Main Road,
Mahadevapura, Bangalore - 560 048
E-mail: bmsentrprises@gmail.com

Mob. 9934765081

Guddu Book Store

All type of books N.C.E.R.T, C.B.S.E & C.C.E are available here. Also available books for childrens & supply retail and wholesale for schools

Urdu Chowk, Tarapur, Munger, Bihar 813221

NASIR MAHMOOD
Ph. : 9330538771
7686979536

MANUFACTURER and WHOLE SELLER

Leather Wallats, Jackets, Ladies Bag, Port Folio Bag, Key Chain, Belts etc.

70D Tiljala Road, Kolkata - 700046
e-mail : nasirmahmood.125@gmail.com

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

Cell
9423805546 / 9960071753
9420399786 / 2363271443

Prop.
Hameed Khan Beejali

Creative Computers

Durwankur, Appt. 05, Old, Shiroda Naka,
Tal. Sawantwadi, Distt. Sindhudurg, Maharashtra - 416510

Ziyafat Khan
Mobile
09937845993

Love For All Hatred For None

दुआओं का आवेदक

WASIMA STONE CRUSHER

Pankal, Near Nuapatna Town,
Distt. Cuttack (Odisha)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Mob. : 09986670102
09036915406

Prop.
Fazal-e-Haq
Eajaz-ul-Haq
Anwar-ul-Haq
Rizwan-ulHaq

Al-Fazal Garments

Specialist in : School Uniform, Tai, Belt, Jeans, T-Shirts, Shirts etc.

Opp. Krishna Gramina Bank, Beside Sana Medical,
Main Road, Yadgir, Karnataka

पृष्ठ 29 का शेष

फिर उस हदीस में रावी का यह वर्णन कि "इस के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कुछ और बातें भी फरमाईं जो मुझे याद नहीं।" विशेष तवज्जा का मुतहम्मिल है। और बहुत संभव है कि वे उमूर दज्जाल के ज़हूर के बारे में हों क्योंकि असंख्य ऐसी रिवायात कुतुब अहादीस में मौजूद हैं जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फ़ित्ना को सबसे बड़ा फ़ित्ना क़रार दिया और उसके मुक़ाबले के लिए अपनी उम्मत को मसीह मौऊद की आमद की ख़ुशख़बरी अता फ़रमाई। रावी के अनुसार इन बातों के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का वर्णन फ़रमाया और उनकी बैअत को लाज़िमी क़रार देते हुए ताकीदन फ़रमाया कि यदि तुम्हें बर्फ़ की सिलों से घुटनों के बल घिसट कर भी जाना पड़े तो अवश्य उसकी बैअत करना, क्योंकि वह ख़लीफ़ातुलल्लाह अल् महदी है।

अत: हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तीन अलग अलग ज़मानों का वर्णन फ़रमाया है। एक वह ज़माना जब हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और ख़िलाफ़त-ए-राशिदा का मुबारक दौर हसब-ए-मंशा इलाही अंत पज़ीर हो जाएगा। और इसके बाद मुसलमान आपस में जंग-ओ-जदाल करेंगे और अपने ही लोगों को तलवार के नीचे करके उनका ख़ून बहाएँगे, उस वक़्त वह अध्यात्मिक खज़ाने से वंचित हो जाऐंगे। दूसरा वह ज़माना जब मुसलमानों के दुनियावी लिहाज़ से भी कमज़ोर हो जाने की वजह से उनके ग़ैर मुस्लिम मुख़ालेफ़ीन उन्हें ख़ूँरेज़ी का निशाना बनाएंगे और फिर तीसरा वह जब आंहज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बशारतों के अनुसार इमाम महदी और मसीह मुहम्मदी की बिअसत होगी और उम्मत-ए-मुहम्मदिया का वह हिस्सा जो हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस ग़ुलाम सादिक़ और अध्यात्मिक फ़र्ज़ंद की बैअत करके उसकी आग़ोश में आ जाएगा, उस के लिए एक मर्तबा फिर उसी तरो ताज़गी का ज़माना आएगा जिसका मुशाहिदा उम्मत मुहम्मदिया ने अपने आक़ा-ओ-मुता हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अह्द मुबारक में किया था और उस वक़्त फिर "सहाबा से मिला जब मुझ को पाया" की नवीद इन ख़ुश-नसीबों के लिए पूरी होगी।

हदीस में मुंदरज क़तल-ओ-ग़ारत को यदि रूपक के लिया जाए तो फिर उसके अर्थ ये होंगे कि जिस तरह सही बुख़ारी में "يَضَعَ الْحَرْبَ" वाली हदीस में मज़कूरा "فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ" का हक़ीक़ी अर्थ सलीब तोड़ना और सिर मारना नहीं। बल्कि इस से मुराद ईसाइयत की तरफ़ से इस्लाम पर होने वाले आरोप का मुंहतोड़ उत्तर देना मुराद है, इसी तरह इमाम महदी के माध्यम से मुसलमानों के क़तल से मुराद उन में राह पा जाने वाले ग़लत अक़ायद का क़िला क़मा करना और दीन की तजदीद कर उसे आंहज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन अनुसार दुनिया में रायज करना होगा।

अत: मेरे ख़्याल में यदि इस हदीस को इस तरह लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर व्याख्या बनती है और क़तल की भी वज़ाहत हो जाती है। शेष..... (अखबार बदर के सौजन्य से)

★ ★ ★